

(संशोधित नियम)
राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं
अधीनस्थ सेवा नियम, 1992



हिन्दी संस्करण

राजस्थान राज-पत्र <i>विशेषांक</i>	RAJASTHAN GAZETTE <i>Extraordinary</i>
<i>साधिकार प्रकाशित</i>	<i>Published by Authority</i>
पौष 15, मंगलवार, शाके 1914—जनवरी 5, 1993 <i>Pausa 15, Tuesday, Saka 1914-January 5, 1993</i>	

भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
कार्मिक विभाग (क-11)
अधिसूचना
जयपुर, दिसम्बर 5, 1992

जी.एस.आर. 41:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों को विनियमित करने हेतु, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992^{1 2 3 4 5 6}

¹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 25.10.2007 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

(i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2007 है।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

² कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए-11/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

(i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2008 है।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

³ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 28.06.2008 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

(i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008 है।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

⁴ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(2)डीओपी/ए-2/91 दिनांक 17.11.2009 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

(i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (1-संशोधन) नियम, 2009 है।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

⁵ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

(i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2011 है।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

भाग-1 सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ⁷** :- (i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 है।
(ii) ये तुरन्त प्रभाव से या सम्बन्धित संशोधनों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं** :- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में:-
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्य सेवा या पद के संबंध में सरकार अभिप्रेत है और अधीनस्थ सेवा या पद के संबंध में आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार⁸ अभिप्रेत है;
(ख) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
(ग) "समिति" से नियम 29 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
(घ) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग IV में विहित प्रक्रिया के अनुरूप की गई भर्ती अभिप्रेत है;
(ङ) "आयुक्त" से आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।⁹
(च) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
(छ) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन सेवा में के किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर रखा गया व्यक्ति भी सम्मिलित है;
(ज) "सेवा" से राजस्थान कम्प्यूटर राज्य सेवा और राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा, यथास्थिति, अभिप्रेत है;
(झ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;
(त्र) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
(ट) "अधिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमों के अधीन भर्ती की किसी भी विहित रीति से सम्यक् चयन किया जाकर किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबन्धों की अधीन की गई नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में की गई ऐसी नियुक्ति भी

⁶ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-II/91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

(i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 है।

(ii) ये तुरन्त प्रभाव से या संबंधित संशोधनों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित तारीख से प्रवृत्त होंगे।

⁷ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-II/91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

⁸ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में नियम 2 के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, कम्प्यूटर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार" प्रतिस्थापित की गयी है।

⁹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

आती है जिस पर परीक्षा की कालावधि की समाप्ति के पश्चात स्थायीकरण किया जाना हो;

टिप्पणी :- इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के अर्न्तगत, अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति को छोड़कर, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गई या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई भर्ती भी सम्मिलित होगी

- (ठ) 'सेवा' या 'अनुभव' जहां कहीं भी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद को धारण करने वाले व्यक्ति की एक सेवा से दूसरी सेवा में अथवा सेवा में के एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में इन नियमों में विहित हो तो इसमें वह कालावधि सम्मिलित होगी जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे पदों पर निरन्तर कार्य किया हो;

टिप्पणी :- सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थितियों भी उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन 'ड्यूटी' के रूप में मानी गयी है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जाएगी।

- (ड) 'वर्ष' से अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. **निर्वचन :-** जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955(1955 का राजस्थान अधिनियम सं. VIII) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग-II संवर्ग

4. **सेवा की संरचना एवं उसमें पदों की संख्या:-** (1) सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में सम्मिलित पदों की प्रकृति इन नियमों की अनुसूचि I और II के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्टानुसार होगी।

(2) सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए, परन्तु यह कि सरकार:

- (क) आवश्यक प्रतीत होने पर, कोई भी स्थायी या अस्थायी पद समय-समय पर सृजित कर सकेगी और उसी रीति से ऐसे किसी पद को किसी व्यक्ति को कोई प्रतिकर पाने का हकदार बनाये बिना समाप्त कर सकेगी, और

(ख) किसी स्थायी या अस्थायी पद को किसी व्यक्ति को प्रतिकार पाने का हकदार बनाये बिना समय-समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

5. **सेवा का गठन—** सेवा में निम्नलिखित होंगे:—

- (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को अनुसूचि I और II में विनिर्दिष्ट पद/पदों को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति;
- (ख) इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व सेवा में सम्मिलित पद/पदों पर भर्ती किए गये समस्त व्यक्ति; और
- (ग) नियम 33 के अधीन अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति को छोड़कर इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए समस्त व्यक्ति।

भाग—III भर्ती

6. **भर्ती की रितियाँ** — (1) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में के पदों पर भर्ती अनुसूची I और II के स्तम्भ 3 और 4 में उपदर्शित अनुपात में निम्नलिखित रितियों से की जाएगी:—

- (क) इन नियमों के भाग IV में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा; और
 - (ख) इन नियमों के भाग V में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा,
- परन्तु यह कि—

- (i) यदि आयोग से परामर्श करके, जहाँ परामर्श करना आवश्यक हो, नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि किसी वर्ष विशेष में भर्ती की किसी एक रीति से नियुक्ति की जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो नियुक्ति, विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, दूसरी रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है;
- (ii) नियम 5 के अधीन न आने वाले व्यक्ति, जो अनुसूचि I और II में सम्मिलित किए गए पदों पर तदर्थ या स्थानापन्न या अर्जेन्ट अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए हों और जो इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि को कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर रूप से ऐसे पदों को धारण किए हुए हों, उनके द्वारा धारित पदों पर उनकी उपयुक्तता विनिर्णीत की जाने के लिए नियम 29 में निर्दिष्ट समिति द्वारा स्क्रीन किए जाएंगे बशर्ते कि वे सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए नियमों में विहित की गई अपेक्षित अर्हताएं रखते हों या वे अपेक्षित अर्हताएं रखते हों जिनके आधार पर ऐसे व्यक्तियों का तदर्थ/स्थानापन्न/अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति के लिए चयन किया गया था। यह उपबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात:

(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति उस पद, जिस पर वह प्रारम्भतः नियुक्त किया गया था, से उच्चतर किसी पद पर स्क्रीनिंग किए जाने का हकदार नहीं होगा यदि निचले पद पर उससे वरिष्ठ कोई व्यक्ति जो पद की विहित अर्हताएँ पूरी करता था, उसे या तो ऐसी तदर्थ नियुक्ति नहीं दी गई या वह इस नियम के अधीन स्क्रीनिंग किए जाने का हकदार नहीं था। इस प्रयोजन के लिए वरिष्ठता किसी पद पर की निरन्तर सेवा अवधि के अनुसार अवधारित की जाएगी;

(ख) स्क्रीनिंग के द्वारा उपयुक्तता विनिर्णीत करने वाली इन नियमों के अधीननियुक्त समिति, चाहे ऐसी स्क्रीनिंग भर्ती की साधारण रीतियों के अपवादस्वरूप हो अथवा सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गई हो, किसी भी कर्मचारी की बाबत, जिसने उस पद पर जिसके लिए उसका स्क्रीनिंग किया जाना है, तीन वर्ष से अधिक काम कर लिया हो परन्तु जिसके लिए उसे उपयुक्त विनिर्णीत न किया जाय और इसके बाद उसे निम्नतर पद पर भी नियुक्ति होने का अधिकार न हो, अनुग्रह के रूप में यह सिफारिश कर सकेगी कि उसे निम्नतर पर आमेदन द्वारा नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव कर दिया जाये। ऐसा होने पर ऐसा कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कर्मिकों का आमेदन) नियम, 1969 के उपबन्धों के अधीन अधिशेष कर्मचारी माना जाएगा और उसे, समिति की सिफारिश पर ऐसी शर्तों के अधीन, जो उसके द्वारा अधिकथित की जाय, निरन्तर पद पर आमेदित किया जा सकेगा।

टिप्पणी:- नियम 6 के परन्तुक (ii) के अधीन की स्क्रीनिंग का उपबन्ध प्रथम उपाय के रूप में आशयित है तथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के कोटा का ध्यान रखे बिना स्क्रीन किये गये व्यक्तियों के लिए अपेक्षित रिक्तियाँ भरी जाने के पश्चात् ही, सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटा लागू किया जायेगा।

(2) इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी आपातकाल के दौरान थल सैन्य/वायुसेना/नौसेना में पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति की भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें परन्तु इनको भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित विनियमित किया जाएगा।

7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण :-

- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार के ऐसे आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त हो चाहे भर्ती सीधी हो या पदोन्नति द्वारा।
- (2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियाँ वरिष्ठता एवं योग्यता तथा योग्यता के आधार पर भरी जायेंगी।

- (3) इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियों को भरने के लिए उन पात्र अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में उनका रैंक कौनसा है इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिये विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिये आयोग के क्षेत्र में आने वाले पदों के लिए आयोग द्वारा और अन्य मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और पदोन्नति किये जाने वाले व्यक्तियों के मामले में, यथास्थिति, विभागीय पदोन्नति समिति या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।
- (4) नियुक्तियाँ सर्वथा सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये विहित अलग अलग रोस्टर्स के अनुसार की जायेगी। यदि किसी वर्ष विशेष में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो उनके लिये इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर लिया जायेगा तथा पश्चातवर्ती वर्ष में उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियाँ आरक्षित की जायेगी। ऐसी बिना भरी गई रिक्तियों को भर्ती के पश्चातवर्ती कुल तीन भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जायेगा और इसके पश्चात् ऐसा आरक्षण समाप्त हो जायेगा। परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पदों या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/ग्रुप की रिक्तियों को जिन पर इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नतियाँ की जाती हैं। अग्रणीत नहीं किया जायेगा।

8. **राष्ट्रीयता:—** सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह:

- (क) भारत का नागरिक हो या
- (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
- (ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
- (घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या
- (ङ) भारतीय उद्भव का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के देश केनिया, युगाण्डा तथा तनजानिया गणतंत्र (पूर्वतः टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी और इथियोपिया से आया हो:

परन्तु (ख)(ग)(घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यक्षीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।

9. **अन्य देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की प्राप्ति की शर्त:-** इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी सेवा में भर्ती की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाय और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।
10. **रिक्तियों का अवधारण:-** (1) (क) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी, प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।
- (ख) जहाँ कोई पद अनुसूची या नियम में विहित किसी रीति से भरा जाना हो तो इस प्रकार अवधारित रिक्तियाँ उसी रीति से भरी जाएंगी।
- (ग) जहाँ कोई पद अनुसूची या नियमों में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहाँ उपरोक्त खण्ड (क) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पूर्व में भरे गए पदों की सम्पूर्ण संख्या के लिए विहित अनुपात को संधारित करते हुए ऐसी प्रत्येक रीति के लिए किया जाएगा। यदि उपरोक्त विहित तरीके से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग रह जाए तो इसे पदोन्नति कोटे को अधिमानता देते हुए निरन्तर चक्रीय क्रम के लिए विहित विभिन्न रीतियों के कोटे में प्रभाजित किया जाएगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पिछले वर्षों की रिक्तियों को भी जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना था, वर्षवार अवधारित करेगा, बशर्ते कि ऐसी रिक्तियाँ पहले अवधारित न की गई हों और उस वर्ष में जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गई हों।
11. **आयु :-** अनुसूची I में वर्णित एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)¹⁰ के पद पर की किसी भर्ती का अभ्यर्थी आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख के बाद आने वाले जनवरी माह के प्रथम दिन को 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए और अनुसूची II में वर्णित प्रोग्रामर और सूचना सहायक¹¹ के पद के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए लेकिन 33 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए:
- परन्तु यह कि:
- (i) महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी;

¹⁰ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II / 91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)" प्रतिस्थापित की गयी है।

¹¹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) कार्मिक/क-2/91 दिनांक 28.06.2008 के क्रम में अभिव्यक्ति "डाटाएन्ट्री ऑपरेटर" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "सूचना सहायक" प्रतिस्थापित की गयी है।

- (ii) उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि में पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका या और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;
- (iii) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;
- (iv) एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामलों में, उपर्युक्त अधिकतम आयु-सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा;
- (v) राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी तौर से सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जेंट अस्थाई नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी;
- (vi) विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:—

यह कि विधवा को अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत करना होगा और विवाह विच्छिन्न महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

- (vii) रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

12. **शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं एवं अनुभव:** अनुसूची । और ।। में प्रगणित पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:

- (vii) इन नियमों की अनुसूची के स्तम्भ 5 में बतलाई गई अर्हताएं और अनुभव;

और

- (ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

13. **चरित्र:—** सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसको उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए तथा साथ ही ऐसे ही दो प्रमाण पत्र जो उसके द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की तारीख से छः माह से अधिक पूर्व में लिखे हुए न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित न हो और न उसके रिश्तेदार हों।

टिप्पणी :- (1) न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि मात्र को सच्चरित्रता प्रमाण पत्र न दिये जाने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध अपराधों या हिंसा या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीके से उलटना हो, तो केवल दोषसिद्धि को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिये।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और बाद के सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजनार्थ इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता की कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा यदि वे पश्चातवर्ती देखरेखगृह के अधीक्षक की या किसी जिला विशेष में यदि ऐसे पश्चातवर्ती देखरेखगृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से जिन्हें ऐसे अपराधों के लिये जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, पश्चातवर्ती देखरेख के अधीक्षक का, या जहाँ ऐसे पश्चातवर्ती देखरेख नहीं है उस जिले के पुलिस अधीक्षक का कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चातवर्ती देखरेख गृह में अपने बाद के सदाचरण से यह साबित कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः वे नियोजन के लिये उपयुक्त हैं।

14. **शारीरिक योग्यता-** सेवा में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक या शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जो उसके सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाय तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पहले से ही सेवारत है और पूर्व नियुक्ति के समय उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही की जा चुकी है और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से एक समान है और आयु के कारण उसकी तत्प्रयोजनार्थ कार्यदक्षता में कोई कमी नहीं आयी है।
15. **अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग-** ऐसा अभ्यर्थी जो आयोग/नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा बनावटी दस्तावेज जिनमें गडबड की गई है, प्रस्तुत करने का या ऐसे ब्योरे प्रस्तुत करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में नावाजिब साधनों का प्रयोग करने का या उनके प्रयोग करने का प्रयास करने का या परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अनियमित या अनुचित साधन काम

में लाने का दोषी घोषित किया जाता है या किया जा चुका है तो फौजदारी मुकदमा चलाये जाने के दायित्वाधीन रहने के अतिरिक्त उसे:

(क) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन के लिये सरकार द्वारा, स्थायी तौर पर या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये विवर्जित किया जा सकेगा।

16. **संयाचना**— सीधी भर्ती के लिये नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिये निरहित कर सकेगा।

भाग—IV सीधी भर्ती की प्रक्रिया

17. **प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के लिए प्राधिकारी.**^{12 13} — (1) अनुसूची—I में उल्लिखित पदों और आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले अनुसूची— II में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगी।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित से भिन्न अनुसूची— II में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगी।

18. **परीक्षा का पाठ्य विवरण** — एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर (उप निदेशक), प्रोग्रामर और सूचना सहायक के पद पर सीधी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण क्रमशः अनुसूची III, IV और V में यथाविनिर्दिष्टानुसार होगा।¹⁴

19. **आवेदन आमंत्रित करना** — सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विनिर्दिष्ट पदों के लिये सरकार/विभाग से अध्यक्षता प्राप्त हाने के उपरान्त, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,^{15 16} परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा हेतु राजपत्र में नोटिस प्रकाशित

¹² कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए-11/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

¹³ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

¹⁴ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

¹⁵ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए-11/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

¹⁶ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 19 में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

करवाकर या अन्य किसी रीति से जिसे कि आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, उपयुक्त समझे, आवेदन आमंत्रित करेगा।

20. नोटिस की विषयवस्तु तथा उससे संबंधित अनुदेश— (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त नोटिस में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बातें भी होगी:—

- (i) प्रत्येक परीक्षा का परिणाम आ जाने पर विभिन्न सेवाओं में भरे जाने वाले पदों की संख्या, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित किये गये पदों की संख्या को अलग से दर्शाया जायेगा;
- (ii) परीक्षा में प्रवेश हेतु किये जाने वाले आवेदनों को प्रस्तुत करने की तारीख;
- (iii) परीक्षा में प्रवेश बैठने हेतु अपेक्षित अर्हताएँ तथा अपनी पात्रता स्थापित करने के लिये अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही; और
- (iv) परीक्षा की तारीख व स्थान।

(2) नोटिस के अलावा, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु ऐसे अनुदेश जिसमें पाठ्य विवरण भी सम्मिलित होगा, ऐसी रीति से जिसे आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,¹⁷ उपयुक्त समझे, जारी कर सकेगा।

21. आवेदन का प्रारूप — आवेदन, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,¹⁸ द्वारा अनुमोदित प्रारूप में किया जायेगा जो आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, के सचिव से या विभागाध्यक्ष के कार्यालय से ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो समय-समय पर आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा निश्चित की जाये, का संदाय करने के उपरान्त प्राप्त किया जा सकेगा।

22. परीक्षा फीस (1) सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,¹⁹ को ऐसी फीस का संदाय करेगा जो उनके द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाये तथा ऐसी रीति से करेगा जो उनके द्वारा दर्शायी जाये।

¹⁷ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 21 के उप-नियम (2) में, जहाँ कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

¹⁸ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 21 में, जहाँ कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

¹⁹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहाँ कहीं भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

²⁰ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 22 में उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

(2) परीक्षा फीस के प्रत्यर्पण का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा और ना फीस को किसी अन्य परीक्षा के आरक्षित रखा जायेगा सिवाय जबकि विज्ञापन, अध्यपेक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा अध्यपेक्षा वापस लेने के कारण या अन्य किसी कारण से आयोग/नियुक्त प्राधिकारी, यथास्थिति,²¹ द्वारा निरस्त ना कर दिया गया हो। इस स्थिति में राशि प्रत्यर्पित कर दी जायेगी। परन्तु आयोग/नियुक्त प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा अभ्यर्थी को प्रत्यर्पण पत्र जारी किये जाने की तारीख से एक माह की कालावधि के पश्चात फीस के प्रत्यर्पण की बाबत कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- 23. परीक्षा में प्रवेश** (1) आवेदन जो अपूर्ण पाए गए हो और जिन्हे, आयोग/नियुक्त प्राधिकारी, यथास्थिति,²² द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार नहीं भरा गया हो, प्रारंभिक चरण पर ही उनके द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। आयोग/नियुक्त प्राधिकारी, यथास्थिति, शेष अभ्यर्थियों में से उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा अनन्तिम रूप से दे सकेगा। जिन्हे प्रवेश प्रमाणपत्र जारी करना वह उपयुक्त समझे। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग/नियुक्त प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा उस परीक्षा में बैठने के लिए जारी किया गया प्रवेश प्रमाण पत्र न हो। परीक्षा में बैठने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वह आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, आदि यदि कोई हो, से संबंधित शर्त, जैसी कि नियमों में उपबंधित की गई हो, पूरी करता है। परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दे देने मात्र से ही अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा कर लेने का हक प्राप्त नहीं हो जाता। आयोग/नियुक्त प्राधिकारी, यथास्थिति, बाद में केवल उन अभ्यर्थियों के आवेदनो की संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लें और केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही मौखिक परीक्षा के लिए, यदि कोई हो बुलाएगा।

(2) अभ्यर्थी का परीक्षा में प्रवेश, उसकी पात्रता तथा पारिणामिक रूप से मौखिक परीक्षा में प्रवेश की बाबत आयोग/नियुक्त प्राधिकारी, यथास्थिति,²³ का निर्णय अंतिम होगा।

- 24. न्यूनतम अर्हक अंक²⁴**— वे अभ्यर्थी, जो लिखित परीक्षा/गति परीक्षण में कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे उन्हें ही लिखित परीक्षा/गति परीक्षण, यथास्थिति, में अर्हक अंक अभिप्राप्त किया हुआ समझा जायेगा, किन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा/गति परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 36 प्रतिशत होंगे। आयोग/नियुक्त

²¹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 22 में उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्त प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

²² कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 23 में उप-नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्त प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

²³ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 23 में उप-नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्त प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

²⁴ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए-11/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के विद्यमान नियम 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

प्राधिकारी अपने स्वविवेक से प्रत्येक प्रश्न-पत्र में एक तक तथा कुल मिलाकर तीन तक अनुग्रह अंक प्रदान कर सकेगा।

25. आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें²⁵ — (1) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,²⁶ ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पद/पदों पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त समझे, एक सूची योग्यता क्रम में तैयार करेगा तथा इसे सरकार या आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, को अग्रेषित करेगा।

(2) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,²⁷ उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम, विज्ञापित रिक्त पदों के 50% तक आरक्षित सूची में रख सकेगा। आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा सरकार को मूल सूची अग्रेषित की जाने की तारीख से 6 माह के भीतर अध्यपेक्षा करने पर वह ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश योग्यता क्रम में आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, को कर सकेगा।

26. अंको का पुनर्योग— (1) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,²⁸ ऐसी कालावधि के दौरान जो आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा अपने स्वविवेक से विनिश्चित की जाए, ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर जो आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको का योग फिर से करने का आदेश दे सकेगा किन्तु उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की जाँच फिर से नहीं की जाएगी।

(2) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,²⁹ ऐसी गलतियों को दूर करने के लिए कदम उठा सकेगा जिनका पता उप नियम (i) के उपबन्धों के अनुसरण में फिर से योग किये जाने पर चले।

(3) इस सुधार के परिणाम स्वरूप यदि आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,³⁰ को यह पता चले कि अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र हो गया है तो इस तथ्य की सूचना तुरन्त और किसी भी दशा में परिणाम घोषित हो जाने के 40

²⁵ उक्त नियमों के नियम 25 में, विद्यमान पार्श्व शीर्ष "आयोग की सिफारिश" के स्थान पर पार्श्व शीर्ष "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें" प्रतिस्थापित किया गया है।

²⁶ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 25 में उप-नियम (1) में जहाँ कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

²⁷ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 25 में उप-नियम (2) में जहाँ कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

²⁸ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 26 में उप-नियम (1) में जहाँ कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

²⁹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 26 में उप-नियम (2) में जहाँ कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

³⁰ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 26 में उप-नियम (3) में जहाँ कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

दिन से पूर्व सरकार को दे दी जाएगी और आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, की सिफारिश जो नियम 25 के अन्तर्गत की गयी हो, उस सीमा तक उपात्तरित समझी जायगी।

27. नियुक्ति के लिए निरर्हता- (1) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा सिवाय उस दशा के जब राज्य सरकार अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है किसी अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।

(2) कोई महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जब राज्य सरकार अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।

(3) कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनार्थ दहेज का वही अर्थ होगा जो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) में दिया गया है।

28. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन - (1) नियम 20 के अधीन जारी किये गए नोटिस में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अध्वधीन रहते हुए और अनुसूची I और II में सम्मिलित पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में पदों के आरक्षण के अध्वधीन रहते हुए, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,³¹ ³² उन अभ्यर्थियों का चयन करेगा जिनका स्थान आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा नियम 25 के अधीन तैयार की गई सूची में योग्यता क्रम में सबसे ऊँचा हो:

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, का, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, समाधान न हो जाए कि ऐसा अभ्यर्थी सम्बन्धित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सब प्रकार से उपयुक्त है।

परन्तु यह और भी कि आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम अंतिम रूप से घोषित होने से पूर्व, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, अनुसूची I और II में विनिर्दिष्ट सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा नियम 25 के अधीन तैयार की गई सूची में से योग्यता के क्रम में अभ्यर्थियों का चयन

³¹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए-11/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहाँ कहीं भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

³² कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11 / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 28 में उप-नियम (1) में जहाँ कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

अतिरिक्त रिक्तियों के प्रति रिक्तियों की उस संख्या के बराबर जो उन्होंने आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, को सूचित की थी कर सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो ऊपर उप नियम (1) के अधीन चयनित हो और संबंधित पद पर इन नियमों के अनुसार किसी वर्ष विशेष की रिक्तियों के प्रति जिसके लिये इन नियमों के अनुसार आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,³³ द्वारा प्रतियोगी परीक्षा संचालित की गई थी, नियुक्त किया गया हो और यदि वह उसे दिए गए पद पर कार्य ग्रहण नहीं करता है या उसमें त्याग पत्र दे दिया है या किसी पश्चातवर्ती वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उक्त रिक्ति को नई रिक्ति के रूप में माना जाएगा।

भाग—V पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

29. समिति का गठन— समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा—

(क) आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पदों के लिये—

- (i) आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट — अध्यक्ष
आयोग का कोई सदस्य
- (ii) संबंधित प्रशासनिक विभाग का प्रमुख शासन — सदस्य
सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव³⁴
- (iii) कार्मिक विभाग (क-1।) का विशिष्ट शासन सचिव — सदस्य
या उसका कोई प्रतिनिधि जो कार्मिक (क-1।)
विभाग में उप शासन सचिव की रैंक से नीचे का
न हो
- (iv) आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार³⁵ — सदस्य सचिव

(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र में न आने वाले पदों के लिये—

- (i) आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार³⁶ — अध्यक्ष
- (ii) कार्मिक विभाग का उपशासन सचिव — सदस्य

³³ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-1। / 91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 28 में उप-नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

³⁴ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए-1। / 91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में अभिव्यक्ति "सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव" प्रतिस्थापित किया गया है।

³⁵ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए-1। / 91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में अभिव्यक्ति "उप सचिव-कम-निदेशक, कम्प्यूटर्स" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार" प्रतिस्थापित किया गया है।

³⁶ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए-1। / 91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में अभिव्यक्ति "उप सचिव-कम-निदेशक, कम्प्यूटर्स" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार" प्रतिस्थापित किया गया है।

- (iii) संबंधित प्रशासनिक विभाग में प्रमुख शासन – सदस्य सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य³⁷
- (iv) तकनीकी निदेशक^{38 39} – सदस्य सचिव

30. पदोन्नति के लिये पात्रता, कसौटी और प्रक्रिया— (1) ज्योंही नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के नियम 10 के अधीन रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चित करे कि अमुक संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित है तो वह उप-नियम (6) के उपबंधों के अधधीन रहते हुए वरिष्ठतम व्यक्तियों की, जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद-वर्ग में वरिष्ठता एवं योग्यता या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये पात्र और अर्हित है, सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा।

(2) चयन वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अनुसूची I और II के स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएँ और अनुभव रखने के अधधीन रहते हुए, स्तम्भ 6 में प्रगणित पदों के धारक व्यक्ति, स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किये गये पदों पर स्तम्भ 4 में उपदर्शित सीमा तक पदोन्नति के पात्र होंगे।

(3) किसी व्यक्ति की सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सेवा में के निम्नतम पद के अधिष्ठायी रूप से नियुक्त तथा स्थायी न हो। सेवा में प्रथम पदोन्नति के पश्चात सेवा के उच्चतर पदों पर पश्चातवर्ती पदोन्नतियों के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो ऐसे पद पर, जिस पर से पदोन्नति होती है, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार चयन के पश्चात् नियुक्त हुआ हो।

परन्तु यह कि यदि सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए निम्नतम पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त तथा स्थायी हुए व्यक्ति रिक्तियों की संख्या के बराबर उपलब्ध न हो तो ऐसे व्यक्ति भी जो सेवा में के निम्नतम पद पर इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीती के अनुसार चयन के पश्चात नियुक्त किये गये हों, पात्र होंगे बशर्ते कि वे पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हों।

स्पष्टीकरण:— यदि किसी वर्ष विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती पदोन्नति द्वारा नियमित चयन से पूर्व कर ली गई हों तो ऐसे व्यक्तियों जो भर्ती की दोनों रीतियों से नियुक्त हेतु पात्र है या पात्र थे और जिन्हें प्रथमतः सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था, की बाबत भी पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।

³⁷ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II / 91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

³⁸ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(2)डीओपी/ए- II / 91 दिनांक 17.11.2009 के क्रम में नियम 29 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "सिस्टम एनालिस्ट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपर निदेशक" में प्रतिस्थापित की गई है।

³⁹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II / 91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "अपर निदेशक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तकनीकी निदेशक" प्रतिस्थापित किया गया है।

(4) पदोन्नति की नियमित पंक्ति में सेवा में सम्मिलित नहीं किये गये पद/पदों से सेवा के निम्नतम पद या पद प्रवर्ग पर पदोन्नति हेतु चयन योग्यता और वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर 50:50 के अनुपात में किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि समिति का समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष विशेष में पूर्णतः योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो पदोन्नति हेतु चयन इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट रीति से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जा सकेगा।

(5) राज्य सेवा के निम्नतम पद या पदप्रवर्ग में से राज्य सेवा के अगले उच्चतर पद या पदप्रवर्ग में तथा अधीनस्थ सेवा के समस्त पदों पर पदोन्नति हेतु चयन सर्वथा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जावेगा।

परन्तु सेवा की अपेक्षित कालावधि के व्यक्ति उपलब्ध न होने कि स्थिति में समिति सेवा की विहित कालावधि को उन व्यक्तियों के मामले में शिथिल कर सकेगी जिन्हें पदोन्नति हेतु अन्यथा उपयुक्त पाया जाए।

स्पष्टीकरण:- यदि सेवा के पद प्रवर्ग में पदोन्नति हेतु उपलब्ध पद विषम संख्या में हो तो वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर 50:50 के अनुपात में पदोन्नति द्वारा चयन हेतु रिक्तियों का अवधारणा करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित चक्रिय क्रम अपनाया जायेगा:

प्रथम रिक्ति : वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा;

पश्चातवर्ती रिक्ति : योग्यता द्वारा;

और यही चक्रिय क्रम चलता रहेगा।

(6) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या सीमा निम्न प्रकार होगी:

(i) रिक्तियों की संख्या	विचार किये जाने के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) एक रिक्ति होने पर	पाँच पात्र संख्या
(ख) दो रिक्तियाँ होने पर	आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियाँ होने पर	दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियाँ होने पर	रिक्तियों की संख्या की तीन गुना

(ii) जब उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु पात्र व्यक्तियों की संख्या उपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो तो इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, यथास्थिति, के अभ्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपर विनिर्दिष्ट संख्या-सीमा के भीतर उपलब्ध न हो तो विचार की संख्या-सीमा को रिक्तियों की संख्या के पाँच गुना तक बढ़ाया जा सकेगा और इस प्रकार विस्तारित संख्या-सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यथास्थिति, (अन्य कोई नहीं) के अभ्यार्थियों के बारे में भी, उनके लिए आरक्षित की गई रिक्तियों के प्रति विचार किया जायेगा।

(7) (क) समिति उन समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के बारे में विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबन्धित पदों के वर्ग में पदोन्नति हेतु पात्र और अर्ह हों और समिति उन व्यक्तियों के नामों की एक सूची इन नियमों में "रिक्तियों की अवधारणा" से सम्बन्धित नियम के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर तैयार करेगी जिन्हें इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति कसौटी के अनुसार वरिष्ठता एवं योग्यता तथा/या योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाया गया हो। वरिष्ठता एवं योग्यता तथा/या योग्यता, यथास्थिति, के आधार पर तैयार की गई सूची को पदों के प्रवर्ग, जिन पर से चयन किया गया हो, की वरिष्ठता के अनुसार क्रमबद्ध रूप में रखा जायेगा।

(ख) समिति इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता एवं योग्यता तथा / या योग्यता, यथास्थिति के आधार पर एक पृथक सूची भी तैयार करेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों, जो बाद में हुई हो, को भरने के लिए ऊपर (क) के अधीन तैयार की गई सूची में बतलाई गई चयनित व्यक्तियों की संख्या के बराबर नाम होंगे। वरिष्ठता एवं योग्यता तथा/या योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गई सूची को पद-प्रवर्ग, जिस पर से चयन किया गया हो, कि वरिष्ठता के अनुसार क्रमबद्ध किया जायेगा। ऐसी सूची को उस विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पुनरीक्षित तथा संशोधित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चातवर्ती वर्ष में हो और यह कि इसी सूची अगले वर्ष के अन्तिम दिन तक या विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने तक, जो भी पहले हो, प्रवृत्त बनी रहेगी।

(ग) ऐसी सूचियों, सूचियों में सम्मिलित किये गये समस्त अभ्यर्थियों उन अभ्यर्थियों जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हो, के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन/वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तथा अन्य सेवाभिलेख के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी।

स्पष्टीकरण:- योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जा सकेगा जिसका उस वर्ष, जिसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो रही है, से पूर्ववर्ती 7 वर्षों में से कम से कम 5 वर्षों का अभिलेख " उत्कृष्ट" या " बहुत अच्छा" का न हो।

(8) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात् यदि किसी पूर्वतन वर्ष से संबंधित ऐसी रिक्तियों, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है, नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन किसी पश्चातवर्ती वर्ष में अवधारित की जाये तो विभागीय पदोन्नति समिति उस वर्ष, जिस वर्ष में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष जिससे रिक्तियों संबंधित है, में पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियों उस वर्ष विशेष, जिससे ऐसी रिक्तियों संबंधित हो, में लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा शासित होगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये पदधारी की उस कालावधि के सेवा / अनुभव को जिसने उस पद का वास्तव में कार्य नहीं किया है जिस पर कि वह पदोन्नत किया गया है उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नति किये गये व्यक्ति का वेतन उस वेतन पर पुनः निर्धारित किया जायेगा जो उसने अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त किया होता। लेकिन वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(9) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख पर स्पष्ट रूप से गोचर होने वाली कुछ गलतियों या त्रुटियों के कारण अथवा किसी तथ्यात्मक मूल के कारण जिसकी वजह से विभागीय पदोन्नति समिति का निर्णय सारतः प्रभावित होता हो अथवा अन्य किसी पर्याप्त कारण से, उदाहरण के लिए – वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्रियों का गलत अवधारण, किसी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/अनुदेश या किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की गई प्रतिफूल प्रविष्टियों को निकाल दिया जाना या उसकी प्रखरता को कम कर दिया जाना या उसे दिया गया दण्ड अपास्त करना या उसे कम कर देना, पहले हुई विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही का पुनरीक्षण किये जाने का आदेश दे सकेगा। पुनरीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाने से पूर्व कार्मिक विभाग तथा आयोग (जब आयोग को सहबद्ध किया गया हो) की सहमति सदैव अभिप्राप्त की जायेगी।

(10) यदि आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो तो समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, की वैयक्तिक फाईलों तथा वार्षिक गोपनीय पंजीयों सहित, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग को अग्रेषित की जायेगी।

(11) आयोग, समिति द्वारा तैयार की सूचियों पर नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ विचार करेगा और यदि उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझे तो उन सूचियों का अनुमोदित कर देगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों को यदि कोई हो, महत्व देते हुए नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरों सहित जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतित हो, अंतिम रूप से अनुमोदन कर देगा लेकिन जब नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार का अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदिन सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(12) पूर्ववर्ती उप नियम (11) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियाँ उसी क्रम में की जायेगी जिस क्रम में उनके नाम सूचियों में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सूचियों, यथास्थिति, निःशेष न हो जाये या उन्हें पुनर्विलोकित एवं पुनरीक्षित न कर लिया जाये।

(13) सरकार, उन व्यक्तियों की पदोन्नतियों नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक विषयों को न्यायसंगत और उचित रीति से, अनन्तिम तौर पर, निपटने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी, जो उस समय निलम्बानाधीन हों या जिनके विरुद्ध उस समय विभागीय कार्यवाही चल रही हो जब किसी ऐसे पद पर की गई पदोन्नतियों पर विचार हो रहा हो जिसके वे पात्र है या यदि वे निलम्बित न होते या उनके विरुद्ध ऐसी जाँच या कार्यवाही लम्बित न होती तो, पात्र हुए होते।

31. पदोन्नति छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निबन्धन:- विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अगले उच्चतर पद पर अर्जेंट अस्थायी या नियमित चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हो जाने पर यदि

कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्तियों को छोड़ देता है। तो उनकी पदोन्नति द्वारा पुनः नियुक्ति (विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिस पर अर्जेंट अस्थाई नियुक्ति या नियमित भर्ती दोनों ही के मामले में) की जाने की बाबत एक वर्ष की कालावधि के पश्चात ही विचार किया जायेगा।

भाग—VI नियुक्ति, परिवीक्षा और वरिष्ठता

32. **सेवा में नियुक्ति** — नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती या पदोन्नति, यथास्थिति, द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ, अधिष्ठायी रिक्तियाँ होने पर नियम 25 के अधीन योग्यता के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों में से तथा इन नियमों के नियम 30 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा तथा इन नियमों के नियम 6 के परन्तुक

(ii) के अधीन उपयुक्त माने गये व्यक्तियों में से, की जायेगी।

33. **अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति:** (1) सेवा में की कोई रिक्ति जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे अधिकारी की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न रूप से नियुक्ति करके या जब सीधी भर्ती नियमों के अधीन उपबंधित हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति की, जो सेवा में सीधी भर्ती का पात्र हो, अस्थायी रूप से नियुक्ति करके, भरा जायेगा।

परन्तु यह कि ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिये, जब ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्देशित किये बिना एक वर्ष से अधिक कालावधि तक चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इन्कार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सेवा के किसी मामले में सरकार के कार्मिक विभाग की तथा अधीनस्थ सेवा के संबंध में सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग की विशिष्ट अनुमति के बिना सेवा के किसी पद पर जिसके लिये भर्ती की उपर्युक्त दोनों रीतियाँ विहित हो, सीधी भर्ती के कोटा की कोई अस्थाई रिक्ति पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा उस सूरत के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिये पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये, तीन मास से अधिक कालावधि के लिये नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिये पात्रता की अपेक्षाएँ पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में सरकार, उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिये अपेक्षित पात्रता की शर्त के बावजूद भी, वेतन तथा अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अध्वधीन रहते हुए जो वह निर्देशित करे, अर्जेंट अस्थाई आधार पर रिक्तियाँ भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। ऐसी नियुक्तियाँ, जैसा कि उक्त उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित है, आयोग की सहमति के अध्वधीन होगी।

34. **वरिष्ठता** — सेवा में के निम्नतम पद पर या सेवा में के प्रत्येक ग्रुप/अनुभाग में के निम्नतम पद प्रवर्गों, यथास्थिति, पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता उक्त पदों पर ऐसी व्यक्तियों के स्थायीकरण की तारीख से अवधारित की जाएगी किन्तु सेवा में के अन्य उच्चतर पदों पर या सेवा में प्रत्येक ग्रुप/अनुभाग में के अन्य उच्चतर पद-प्रवर्गों, यथास्थिति, पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता ऐसे पदों पर उनके नियमित चयन की तारीख से अवधारित की जाएगी।

परन्तु :

- (i) यह कि नियम 6 (i) (ii) के अधीन स्क्रीन किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता इन नियमों के प्रारम्भ होने की तिथि तक सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किए गए समस्त व्यक्तियों के नीचे निश्चित की जायेगी और इन व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता तदर्थ या स्थानापन्न हैसियत में अथवा अर्जेंट अस्थाई आधार पर की गई निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार समिति द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (ii) यह कि प्रवर्ग विशेष में के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने नियुक्ति के आदेश की तारीख से छः सप्ताह के भीतर और यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कालावधि बढ़ाई गई हो तो ऐसी बढ़ाई हुई कालावधि के भीतर सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी जिस क्रम में उनके नाम नियम 25 के अधीन बनाई गई सूची में रखे गए हैं।
- (iii) यदि एक ही वर्ष में सेवा के किसी पद पर दो या अधिक व्यक्ति नियुक्त किए गए हों तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।
- (iv) ऐसे चयन, जो पुनर्विलोन एवं पुनरीक्षण के अधधीन न हो, के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से जो पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप चुने तथा नियुक्त किए गए हों वरिष्ठ होंगे।

वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर तथा योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो ठीक नीचे की ग्रेड में उनकी है।

35. **परीवीक्षा की कालावधि** :— (1) किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए समस्त व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा पर रखे जाएंगे और जो व्यक्ति किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाए उन्हें, एक वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा पर रखा जाएगा;

परन्तु यह कि:

- (i) उनसे से ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने किसी स्थाई रिक्ति पर पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा हुई नियुक्ति से पूर्व ऐसे पद पर अस्थाई तौर पर या स्थानापन्न रूप में कार्य किया हो जिस पर बाद में उनका नियमित चयन हो गया तो

नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे स्थानापन्न या अस्थाई सेवाकाल को परिवीक्षाकाल को में समायोजित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु ऐसा करने से किसी वरिष्ठ व्यक्ति का अधिक्रमण नहीं होगा या संबंधित कोटा में उनके अधिमान क्रम में परिवर्तन नहीं होगा या भर्ती में आरक्षण प्रभावित नहीं होगा।

(ii) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि जिसमें कोई व्यक्ति तत्समान या उच्चतर पदों पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो परिवीक्षाकाल में गिनी जाएगी।

(2) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षाकाल की कालावधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति को ऐसी विभागीय परीक्षा पास करनी होगी और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जो सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करें।

स्पष्टीकरण :- उस व्यक्ति का, जिसकी मृत्यु हो जाए या जो अधिवार्षिक आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को हो, परिवीक्षाकाल इतना कम कर दिया जाएगा कि यह उसकी मृत्यु या राज्य सेवा से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक दिन पूर्व समाप्त हो जाए। स्थायीकरण के लिए नियम में विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त, मृत्यु या सेवानिवृत्ति की दशा में अधित्यक्त समझी जाएगी।

36. कतिपय मामलों में स्थायीकरण :- (1) पूर्ववर्ती नियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी पद पर अस्थाई या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी कर्मचारी को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने के बाद सेवा में दो वर्ष की कालावधि पूर्ण करने पर अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने के बाद उसके द्वारा सेवा में एक वर्ष की कालावधि पूर्ण करने पर यदि छः माह की कालावधि के भीतर स्थाई न किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थाई माने जाने का हकदार होगा, यदि :-

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो अथवा वह कार्य करता यदि वह प्रशिक्षण या प्रतिनियुक्ति पर न होता;

(ii) उसने इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए स्थायीकरण से सम्बन्धित नियम के अधीन विहित शर्तों की पूर्ति की हो; और

(iii) विभाग में स्थाई रिवित्त उपलब्ध हो।

(2) ऊपर उप नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरी करने में असफल रहता है तो ऊपर नियम (1) में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 या अन्य किन्हीं नियमों में यथा विहित कालावधि तक या एक वर्ष तक जो भी अधिक हो बढ़ाया जा सकेगा। यदि यह कर्मचारी अभी भी ऊपर उपनियम(1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से उन्मोचित या हटा दिये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उन्मोचित या हटाया जाता है अथवा उसे उस अधिष्ठायी पद या निम्नतर पद, यदि कोई हो, पर पदावनत किया जा सकेगा जिसके लिए वह हकदार है।

(3) ऊपर उप नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा अवधि के दौरान संसूचित न किए गए हों।

(4) ऊपर उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थाई न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरण :- (i) इन नियम के प्रयोजन हेतु नियमित भर्ती से अभिप्रेत है :-

- (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, भर्ती को किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गई नियुक्ति;
- (ख) उस पद पर नियुक्ति जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हों, यदि पद आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो तो भर्ती आयोग के परामर्श से की गई हो;
- (ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जबकि सेवानियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हो;
- (घ) व्यक्ति जिन्हें इन नियमों के अधीन अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो नियमित रूप से भर्ती किए हुए समझे जाएंगे;

परन्तु यह कि इसमें ऐसी अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति या स्थापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्वधीन हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण हेतु पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थाई नियुक्ति के दो वर्ष व्यतीत हो जाने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्वपद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जाएगा।

37. परिवीक्षाकाल के दौरान असन्तोषप्रद प्रगति :- (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को, परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर किसी भी समय ऐसा प्रतीत हो कि सेवा के किसी सदस्य ने उसको दिये गये अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह संतोषप्रदान करने में विफल रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, नियुक्ति से ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से धारित पद पर, प्रतिवर्तित कर सकेगा बशर्ते उस पद उसका धारणाधिकार हो और अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुख कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा:

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे तो वह किसी मामले में या मामले के किसी वर्ग में सेवा के किसी सदस्य के परिवीक्षाकाल को, ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये जो सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में दो वर्ष तक या ऐसे पद पर पदोन्नति/विशेष चयन द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में एक वर्ग तक हो, बढ़ा सकेगा;

परन्तु यह और कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, यथास्थिति, के व्यक्तियों के मामलों में परिवीक्षाकाल को एक बार में एक वर्ष तक और कुल मिलाकर तीन वर्ष तक बढ़ा सकेगा।

(2) उपरोक्त उपनियम (1) में किसी भी बात के होते हुए यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षाकाल के दौरान निलम्बित कर दिया जाए या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाना अनुध्यात हो या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हो तो उसका परिवीक्षाकाल ऐसी कालावधि तक, जो नियुक्ति प्राधिकारी उन परिस्थितियों में उचित समझे, बढ़ाया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर उपनियम (1) के अधीन प्रतिवर्तित या सेवोन्मुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिकार पाने का हकदार नहीं होगा।

38. स्थायीकरण—नियम 35 के अधीन परिवीक्षा पर रखा गया व्यक्ति परिवीक्षावधि की समाप्ति पर अपनी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जाएगा यदि—

- (क) उसने विभागीय परीक्षा पास कर ली हो और ऐसा प्रशिक्षण जैसा कि नियम 35 के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट है, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो;
- (ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता सम्बन्धी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करली हो, और
- (ग) सरकार का विश्वास हो गया हो कि उसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है और यह कि वह अन्यथा स्थायीकरण के योग्य है।

भाग—VII वेतन

39. वेतनमान—सेवा के किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के मासिक वेतन का मान वह होगा जो नियम 41 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत किया जाए।

40. परिवीक्षाकाल के दौरान वेतनवृद्धि —परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा की कालावधि के दौरान उसे अनुज्ञेय वेतनमान में राजस्थान सेवा नियम, 1951, के उपबंधों के अनुसार वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा।

41. वेतन, छुट्टी, भत्तों, पेंशन आदि का विनियमन—इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय सेवा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होगी:

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम, 1950, समय—समय पर यथा संशोधित;
- (2) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय—समय पर यथा संशोधित;
- (3) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान युक्तियुक्तकरण) नियम, 1956, समय—समय पर यथा संशोधित;
- (4) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय—समय पर यथा संशोधित;

- (5) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1961, समय-समय पर यथा संशोधित;
 - (6) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथा संशोधित;
 - (7) राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम, 1969, समय-समय पर यथा संशोधित;
 - (8) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित नवीन वेतनमान) नियम, 1976, समय-समय पर यथा संशोधित;
 - (9) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1983, समय-समय पर यथा संशोधित;
 - (10) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1987 और 1989, समय-समय पर यथा संशोधित;
 - (11) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971
 - (12) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कोई अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हो और तत्समय प्रवृत्त हो।
- 42. शंकाओं का निराकरण—** यदि इन नियमों के लागू करने, इनके निर्वचन और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को निर्देशित किया जाएगा और ऐसे मामले में उनका विनिश्चय अंतिम होगा।
- 43. निरसन और व्यावृत्ति—** इन नियमों में समाविष्ट मामलों से संबंधित समस्त नियम तथा आदेश, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के तुरन्त पूर्व प्रवृत्त थे, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं;
- परन्तु, यह कि इस प्रकार अतिष्ठित नियमों और आदेशों के अधीन की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कार्यवाही समझी जाएगी।
- 44. नियमों के शिथिलीकरण के शक्ति—** अपवाद सापेक्ष मामलों में यदि सरकार के प्रशासनिक विभाग का समाधान हो जाए कि भर्ती के विषय में आयु या अनुभव की अपेक्षाओं के कारण किसी विशेष मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठोरता होती है या जहाँ सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति तथा आयोग के परामर्श से आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से अभिमुक्त कर सकेगी या उन्हें ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिये आवश्यक माना जाए; अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी या उन्हें शिथिल कर सकेगी परन्तु शर्त यह है कि ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से ही अन्तर्विष्ट उपबंधों की तुलना में कम हितकर न हो। शिथिलीकरण विषयक ऐसे मामले राजस्थान लोक सेवा आयोग को, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्देशित किए जाएंगे।

अनुसूची । (राज्य सेवा के पद)

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तकनीकी निदेशक ¹	—	100%	—	अपर निदेशक	स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव और सेवा के सदस्य के रूप में 25 वर्ष की सेवा या एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद पर सेवा के सदस्य के रूप में 20 वर्ष की सेवा या सेवा के ऐसे सदस्यों ने, जो एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) के रूप में सीधे चयनित हुए हैं, 20 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो।	

¹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II / 91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 6(ii) के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	अपर निदेशक ²	—	100%	—	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) ³	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	—
3	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) ⁴	—	100%	—	एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) ⁵	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा ⁶	—
4	एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) ⁷	50%	50%	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.सी.ए. अथवा सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार में बी.ई./ ⁸	प्रोग्रामर	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा	—

² कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए- I I / 91 दिनांक 17.11.2009 के क्रम में यह नई प्रविष्टी अन्तःस्थापित की गई है।

³ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II / 91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 6(iii) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "सिस्टम एनालिस्ट" के स्थान पर "सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

⁴ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II / 91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 6(iii) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "सिस्टम एनालिस्ट" के स्थान पर "सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

⁵ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II / 91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 6(iv) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर" के स्थान पर "एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

⁶ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए- I I / 91 दिनांक 17.11.2009 के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष की सेवा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव" प्रतिस्थापित की गई है।

⁷ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II / 91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 6(iv) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर" के स्थान पर "एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
				बी.टेक. या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में एम.टेक. डिग्री या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम.बी. ए. (सूचना प्रौद्योगिकी) या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। और (2) किसी सरकारी संगठन/सरकारी उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में सिस्टम प्रबन्धन, सिस्टम डिजाइनिंग,⁹ सिस्टम डवलपमेंट, जावा/डॉट नेट/वीबी/ जे2ईई में प्रोग्रामिंग में 5 वर्ष का अर्हता			

⁸ कार्मिक (क-2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 2(i) के क्रम में।

⁹ कार्मिक (क-2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 2(ii) के क्रम में।

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
				पश्चात् कार्य अनुभव : परन्तु यदि विहित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों तो अनुभव संबंधी शर्त तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी। ¹⁰			
5	प्रोग्रामर ¹¹	50% ¹²	50% ¹³	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.सी.ए. अथवा सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार में बी.ई./बी.टेक./एम.एससी. ¹⁴ या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार में एम.टेक. डिग्री या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता।	सहायक प्रोग्रामर	स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव ¹⁵	—

¹⁰ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

¹¹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

¹² कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 6(v) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति “60%” के स्थान पर अभिव्यक्ति “50%” प्रतिस्थापित किया गया है और इसे 01.04.2011 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा।

¹³ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 6(vi) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति “40%” के स्थान पर अभिव्यक्ति “50%” प्रतिस्थापित किया गया है और इसे 01.04.2011 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा।

¹⁴ कार्मिक (क-2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 2(iii) के क्रम में।

¹⁵ कार्मिक (क-2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 2(iii) के क्रम में।

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
				या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (सूचना प्रौद्योगिकी) या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। और (2) किसी सरकारी संगठन/ सरकारी उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड /प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में जावा/डॉट नेट/वीबी/ जे2ईई में प्रोग्रामिंग में 2 वर्ष का अर्हता पश्चात् कार्य अनुभव : परन्तु यदि विहित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों तो अनुभव संबंधी शर्त एक वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।			

अनुसूची II (अधीनस्थ सेवा के पद)

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक प्रोग्रामर ¹⁶	— ¹⁷	100% ¹⁸	— ¹⁹	सूचना सहायक	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा	
2	सूचना सहायक ²⁰	100%	—	²¹ (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रोनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य। या	—	—	

¹⁶ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 28.06.2008 के क्रम में "कम्प्यूटर आपरेटर" के स्थान पर "सहायक प्रोग्रामर" प्रतिस्थापित किया गया है।

¹⁷ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 7(i) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "50%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "—" प्रतिस्थापित की गई है।

¹⁸ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 7(i) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "50%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "100%" प्रतिस्थापित की गई है।

¹⁹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 7(iii) के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

²⁰ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 28.06.2008 के क्रम में "डाटा एन्ट्री आपरेटर" के स्थान पर "सूचना सहायक" प्रतिस्थापित किया गया है।

²¹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 7(iv) के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
				सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पोलीटेक्नीक संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पोलीटेक्नीक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑप्रो.स)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्र.क.सो.) प्रमाणपत्र,			

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
				और (ii) कम्प्यूटर पर हिन्दी और अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा की गति।			

अनुसूची III⁶¹

(नियम 18 देखिए)

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)⁶²

के पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण

अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए अंक और अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :-

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
प्रश्नपत्र I	100	2 घण्टे
प्रश्नपत्र II	100	2 घण्टे

प्रश्नपत्रों का विस्तार

लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र I

तर्क परीक्षण एवं संख्यात्मक विश्लेषण और सामान्य ज्ञान

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक मामले।

डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम

ई आर डायग्राम, डाटा मॉडल्स - रिलेशनल एण्ड आब्जेक्ट ओरियेन्टेड डाटा बेसैज।

डाटा बेस डिजाइन : कन्सेपच्युल डाटा बेस डिजाइन, नोरमलाइजेशन प्रिमिटिव एण्ड कंपोजिट डाटा टाइप, कन्सेप्ट ऑफ फिजीकल एण्ड लोजिकल डाटा बेस, डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड डाटा इन्डिपेन्डेंस, डाटा एग्रीगेशन एण्ड रिलेशनल एलजेब्रा।

एप्लीकेशन यूजिंग डवलपमेंट एस क्यू एल : होस्ट लैंगवेज इन्टरफेस, एम्बैडेड एस क्यू एल प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोसिजर एण्ड ट्रिगर्स एण्ड व्यूज, कन्सट्रेंट्स एसर्शन्स।

इन्टरनल ऑफ आरडीबीएमएस : फिजीकल डाटा ऑर्गनाइजेशन इन सीक्वेन्शियल, इन्डेक्सड रेन्डम एण्ड हैशड फाइल। इन्वरटेड एण्ड मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर, बी ट्रीज़, बी प्लस ट्रीज़, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, जोइन एल्गोरिथम।

⁶¹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-III के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

⁶² कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए-II/91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 8 के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर" के स्थान पर "एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

ट्रान्जेक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्क्रेन्सी कन्ट्रोल एण्ड रिकवरी मैनेजमेंट। ट्रान्जेक्शन मॉडल प्रोपर्टिज़ एण्ड स्टेट सीरियलाइजेबिलिटी। लॉक बेस प्रोटोकॉल, टू फेज़ लॉकिंग।

डिफरेंट सर्वर मल्टी यूज़र, मल्टीप्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम एण्ड रिक्वायरमेंट फॉर क्लाइंट इन्टरफेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन एन्वायरमेंट।

डाटा कम्प्यूनिकेशन एण्ड कम्प्यूटर नेटवर्क्स :

कम्प्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्किट स्विचिंग, पैकेट एण्ड मैसेज स्विचिंग, नेटवर्क स्ट्रक्चर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, रिट्रांसमिशन एलगोरिथम।

मलटिपल एक्सेस एण्ड एलोहा। सीएसएमए/सीडी एण्ड ईथरनेट। हाई स्पीड लेनस् एण्ड टोपोलॉजिज़। ब्रोडकास्ट राउटिंग एण्ड स्पेनिंग ट्रीज़।

टीसीपी/आईपी स्ट्रेक। आईपी नेटवर्क्स एण्ड इन्टरनेट। डीएनएस एण्ड फायरवाल्स। इन्ट्रूजन डिटेक्शन एण्ड प्रिवेन्शन।

ट्रांसपोर्ट लेयर एण्ड टीसीपी/आईपी। नेटवर्क मैनेजमेंट एण्ड इन्टरऑपरेबिलिटी।

प्रश्नपत्र II

सिस्टम एनालिसिस एण्ड डिजाइन

सिस्टम कन्सेप्ट : डेफिनिशन एण्ड करेक्टरस्टिक्स, एलीमेंटस् एण्ड बाउंडरीज़, टाइप आफ सिस्टम डवलपमेंट लाइफसाइकल, रिकग्नीशन ऑफ नीड्स, फिजीबिलिटी स्टडी, प्रोटोटाइपिंग रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट।

सिस्टम प्लानिंग एण्ड टूल लाइक डीएफडी, डाटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्रीज़, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एण्ड डिसीजन टेबल्स।

आईपीओ चार्टस, स्ट्रक्चर्ड वॉकथ्रू, इनपुट आउटपुट फॉर्म डिजाइन, रिक्वायरमेंट एण्ड क्लासीफिकेशन ऑफ फार्म्स, ले आउट कंसीडरेशन फॉर्म कन्ट्रोल, ऑब्जेक्ट ऑरियन्टेड डिजाइन कंसेप्टस एण्ड मेथड्स।

सॉफ्टवेयर लाइफ साइकल, सॉफ्टवेयर इंजिनियरिंग पेरैडिगम्स, सिस्टम एनालिसिस : फिजीबिलिटी स्टडी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कोस्ट बेनीफिट एनालिसिस, प्लानिंग सिस्टम, एनालिसिस टूल्स एण्ड टेक्नीक्स।

सिस्टम डिजाइन : डिजाइन फण्डामेंटल्स, मोड्यूलर डिजाइन, डाटा एण्ड प्रोसिजरल डिजाइन, ऑब्जेक्ट ऑरियन्टेड डिजाइन।

सिस्टम डवलपमेंट : कोड डोक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम डिजाइन पेरैडिगम्स, एफीशियन्सी कौन्सीडरेशन।

वेरिफिकेशन, वेलिडेशन एण्ड टेस्टिंग : टेस्टिंग मेथड्स फोरमल प्रोग्राम वेरिफिकेशन, टेस्टिंग स्ट्रेटिजीज़।

सॉफ्टवेयर मैटेनेन्स : मेन्टेनेन्स करेक्टरस्टिक्स, मेन्टेनेबिलिटी, मेन्टेनेन्स टास्क एण्ड साइड इफेक्टस्।

सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट

सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सेप्ट : दी मैनेजमेंट स्पैक्ट्रम, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एण्ड प्रोजेक्ट।

सॉफ्टवेयर प्रोसेस एण्ड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स : सॉफ्टवेयर मेज़रमेंट साइज ऑरियन्टेड मैट्रिक्स, फंक्शन ऑरियन्टेड मैट्रिक्स।

सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग : ऑब्जेक्टिव, डिकम्पोजिशन टेक्नीक्स, इम्प्रिकल एस्टीमेशन मॉडल।

रिस्क एनालिसिस एण्ड मैनेजमेंट : रिस्क आईडेंटिफिकेशन प्रोजेक्शन,⁶³ रिस्क रिफाइनमेंट, रिस्क मोनिटरिंग एण्ड मैनेजमेंट।

प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एण्ड ट्रेकिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

- (i) प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।
- (ii) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
- (iii) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से, जो अन्यथा उसे प्रोदभूत होते, इस कारण कुछ अंकों की कटौती कर दी जायेगी।
- (iv) परीक्षा के प्रश्न-पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।
- (v) परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

⁶³ कार्मिक (क-2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दु सं. 4 के क्रम में।

अनुसूची IV⁶⁴

(नियम 18 देखिए)

प्रोग्रामर

के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्य विवरण

1. अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए अंक और अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :-

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
प्रश्नपत्र I	100	2 घण्टे
प्रश्नपत्र II	100	2 घण्टे

प्रश्नपत्रों का विस्तार

लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र I

तर्क परीक्षण एवं संख्यात्मक विश्लेषण और सामान्य ज्ञान

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले।

डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम

ई आर डायग्राम, डाटा मॉडल्स – रिलेशनल एण्ड आब्जेक्ट ओरियन्टेड डाटा बेसैज।

डाटा बेस डिजाइन : कन्सेपच्युल डाटा बेस डिजाइन, नोरमलाईजेशन प्रिमिटिव एण्ड कंपोजिट डाटा टाइप, कन्सेप्ट ऑफ फिजीकल एण्ड लॉजिकल डाटा बेस⁶⁵, डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड डाटा इन्डिपेंडेंस, डाटा एग्रीगेशन एण्ड रिलेशनल एलजेब्रा।

एप्लीकेशन डवलपमेंट यूजिंग एस क्यू एल : होस्ट लेंग्वेज इन्टरफेस, एम्बैडेड एस क्यू एल प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोसिजर एण्ड ट्रिगर्स एण्ड व्यूज़, कन्सट्रेंट्स एक्सर्शन्स।

इन्टरनल ऑफ आरडीबीएमएस : फिजीकल डाटा ऑरगनाईजेशन इन सीक्वेन्शियल, इन्डेक्सड रेन्डम एण्ड हैश फाइल्स⁶⁶। इन्वरटेड एण्ड मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर, बी ट्रीज़, बी प्लस ट्रीज़, क्वेरी ऑप्टिमाईजेशन, जोइन एल्गोरिथम।

⁶⁴ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-IV के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

⁶⁵ कार्मिक (क-2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 5(ii) के क्रम में।

⁶⁶ कार्मिक (क-2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 5(ii) के क्रम में।

ट्रान्जेक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्क्रेन्सी कन्ट्रोल एण्ड रिकवरी मैनेजमेंट। ट्रान्जेक्शन मॉडल प्रोपर्टिज एण्ड स्टेट सीरियलाइजेबिलिटी। लॉक बेस प्रोटोकॉल, टू फेज़ लॉकिंग।

डाटा कम्यूनिकेशन एण्ड कम्प्यूटर नेटवर्क्स

कम्प्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्किट स्विचिंग, पैकेट एण्ड मैसेज स्विचिंग, नेटवर्क स्ट्रक्चर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, रिट्रांसमिशन एलगोरिथम।

मल्टीपल एक्सेस एण्ड एलोहा। सीएसएमए/सीडी एण्ड ईथरनेट। हाइ स्पीड लेन एण्ड टोपोलॉजिस। ब्रोडकास्ट राउटिंग एण्ड स्पेनिंग ट्रीज।

टीसीपी/आईपी स्टेक। आईपी नेटवर्क्स एण्ड इन्टरनेट। डीएनएस एण्ड फायरवाल्स। इन्ट्रानेट डिटेक्शन एण्ड प्रिवेन्शन।

ट्रांसपोर्ट लेयर एण्ड टीसीपी/आईपी। नेटवर्क मैनेजमेंट एण्ड इन्टरओपरेबिलिटी।

प्रश्नपत्र II

सिस्टम एनालिसिस एण्ड डिजाइन

सिस्टम कन्सेप्ट : डेफिनिशन एण्ड करक्टरस्टिक्स, एलीमेंट एण्ड बाउंडरीज, टाइप आफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफसाइकल, रिकग्नीशन ऑफ नीड्स, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोटोटाइपिंग, रोल आफ सिस्टम एनालिस्ट।

सिस्टम प्लानिंग एण्ड टूल्स लाइक डीएफडी, डाटा डिक्शनरी, डिजीन ट्रीज, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एण्ड डिजीन टेबल्स।

आईपीओ चार्ट्स, स्ट्रक्चर्ड वॉकथ्रू, इनपुट आउटपुट फ़ोम डिजाइन, रिकवायरमेंट एण्ड क्लासिफिकेशन आफ फ़ोर्मस, ले आउट कंसीडरेशन फ़ोर्म कन्ट्रोल, ऑब्जेक्ट ओरियन्टेड डिजाइन कंसेप्ट्स एण्ड मेथड्स।

सॉफ्टवेयर लाइफ साइकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेरैडिगम्स।

सिस्टम एनालिसिस : फिजिबिलिटी स्टडी रिकवायरमेंट एनालिसिस, कोस्ट बेनीफिट एनालिसिस, प्लानिंग सिस्टम, एनालिसिस टूल्स एण्ड टेक्नीक्स।

सिस्टम डिजाइन : डिजाइन फण्डामेंटल्स, मोड्यूलर डिजाइन, डाटा एण्ड प्रोसिजरल डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरियन्टेड डिजाइन।

सिस्टम डेवलपमेंट : कोड डोक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम डिजाइन पेरैडिगम्स, एफीशियन्सी कॉन्सीडरेशन।

वेरिफिकेशन, वेलिडेशन एण्ड टेस्टिंग : टेस्टिंग मेथड्स, फोरमल प्रोग्राम वेरिफिकेशन, टेस्टिंग स्ट्रेटिजीज।

सॉफ्टवेयर मेन्टेनेन्स : मेन्टेनेन्स करक्टरस्टिक्स, मेन्टेनेबिलिटी, मेन्टेनेन्स टास्क एण्ड साइड इफेक्ट्स।

प्रोग्रामिंग कौन्सेल्स :

इन्ट्रोडक्शन: इन्टरनेट, जावा एज ए टूल फॉर इन्टरनेट एप्लीकेशन्स, बाइट कोड एण्ड इट्स एडवांटेजिज।

आब्जेक्ट ओरियन्टेड प्रोग्रामिंग एण्ड डिजाइन: रिव्यू ऑफ एक्सट्रक्शन, आब्जेक्ट्स एण्ड अदर बेसिक्स, एनकेप्स्यूलेशन, इन्फोरमेशन हाइडिंग, मेथड, सिगनेचर, क्लासेज एण्ड इन्सटान्सेज, पोलिमोर्फिज्म, इन्हेरिटेन्स, एक्सेप्शन्स एण्ड ऐक्सेप्शन हैंडलिंग विद रेफरेन्स टू आब्जेक्ट माडलिंग, कपलिंग एण्ड कोहेजन इन आब्जेक्ट ओरियन्टेड सॉफ्टवेयर। आब्जेक्ट ओरियन्टेड डिजाइन— प्रोसेस, एक्सप्लोरेशन एण्ड एनालिसिस।

जावा प्रोग्रामिंग बेसिक्स : वेरिएबिल्स एण्ड एसाइनमेन्ट्स। इनपुट एण्ड आउटपुट, डाटा टाइप्स एण्ड एक्सप्रेशन, फ्लो ऑफ कन्ट्रोल, लोकल वेरिएबिल्स, ओवरलोडिंग पैरामीटर पासिंग, दिस पाइन्टर, जावा आब्जेक्ट ओरियन्टेड कन्सेप्ट्स: यूज आफ फाइल फार आई/ओ, फारमेटिंग आउटपुट विद स्ट्रीम फंक्शन्स, केरेक्टर आई/ओ, इन्हेरिटेन्स, पब्लिक एण्ड प्राइवेट मेम्बर्स, कन्सट्रक्टर्स फार इनिशियलाइजेशन, डिराइव्ड क्लासेज, फ्लो आफ कन्ट्रोल एरेज— प्रोग्रामिंग विद एरेज, एरेज आफ क्लासेज, एरेज एज फंक्शन आरग्यूमेन्ट्स, स्ट्रिंग्स, मल्टीडाइमेंशनल एरेज, एरेज आफ स्ट्रिंग्स, वेक्टर्स, बेस क्लासेज।

इन्ट्रोडक्शन टू जेएसपी., आरएमआई, जावा एपलेट्स एण्ड सर्वलेट्स।

इन्ट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क एण्ड विजुअल प्रोग्रामिंग इन्टरफेस।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

- (i) प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।
- (ii) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
- (iii) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से, जो अन्यथा उसे प्रोदभूत होते, इस कारण कुछ अंकों की कटौती कर दी जायेगी।
- (iv) परीक्षा के प्रश्न-पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।
- (v) परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

अनुसूची-V^{67 68}

(नियम 18 देखिए)

सूचना सहायक⁶⁹

की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण और प्रश्नपत्रों का विस्तार

प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II के लिये अनुज्ञात अंक और समय इसके नीचे यथा-उल्लिखित है:-

भाग I - लिखित परीक्षा:

अभ्यर्थी को दोनों प्रश्नपत्रों में बैठना होगा।

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
प्रश्नपत्र-I सूचना प्रौद्योगिकी में योग्यता परीक्षण और सामान्य जानकारी	30	1 घंटा
प्रश्नपत्र-II कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्धान्त	70	2 घंटे
भाग II गति परीक्षण:		
द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी)	120	30 मिनट

प्रश्नपत्र का विस्तार**भाग I - लिखित परीक्षा****प्रश्नपत्र-I सूचना प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर) में योग्यता परीक्षण और सामान्य जानकारी**

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजीकल रीजनिंग और एनालीटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास।

प्रश्नपत्र-II तकनीकी सिद्धान्त (त.सि.)

⁶⁷ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 25.10.07 के क्रम में अनुसूची VI को प्रतिस्थापित किया गया है।

⁶⁸ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए- II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम सं. 10 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

⁶⁹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 28.06.2008 के क्रम में "डाटा एन्ट्री आपरेटर" के स्थान पर "सूचना सहायक" प्रतिस्थापित किया गया है।

समाज में कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर एप्लीकेशन और आर्गेनाइजेशन, कम्प्यूटर के अवयव संघटन, डाटा (डिजिटल बनाम ऐनालोग, डिजिटल नम्बर सिस्टम) आपरेटिंग सिस्टम (विनडोज, यूनिक्स, लाईनक्स), वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस-वर्ड), स्प्रेड शीट सोफ्टवेयर (एमएस एक्सेल) का रिप्रजेन्टेशन, सोफ्टवेयर (एमएस पॉवर वर्ड) और आईटी पर दृष्टिपात।

डीबीएमएस (एमएस-एक्सेस), नॉलिज बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, फाईलों के कन्सेप्ट, प्रिंसिपलस और प्रोग्रामिंग टेक्नीकस, विज्युअल फोकसप्रो और बिजनेस एप्लीकेशनस, आरडीबीएमएस (एसक्यूयल)।

इन्टरनेट प्रौद्योगिकी और प्रोटोकाल, लेन, मेन, वेन का परिचय, टीसीपी/आईपी, वर्ल्ड वाईड वेब ब्राउसर, ई-मेल, फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकाल, टेलीनेट, वेब पब्लिशिंग, एचटीएमएल इन्टरएक्टिविटी टूल्स, मल्टीमिडिया एण्ड ग्राफिक, इन्टरनेट सिक्यूरिटी मैनेजमेन्ट कन्सेप्ट (फायरवाल्स), वॉयस मेल और विडियो कान्फ्रेंसिंग का परिचय, ई-कॉमर्स का परिचय, वेबसाईट का सर्जन और रखरखाव।

प्राबलिम सोल्विंग के लिये अैलगरिज्म (विधि-विशेष), सी लैंग्वेज का परिचय, सी और सी++ में प्रोग्रामिंग, कन्डिशनल्स और लूप्स अैरे, फन्क्शन्स।

प्रारंभिक ज्ञान:

विज्युअल बेसिक में आबजेक्ट आरियेन्टेड प्रोग्रामिंग (ओओपी) और जावा प्रोग्रामिंग एलिमेन्ट्स, इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, फोर्मस के साथ वर्किंग, बैसिक एक्टिव X कन्ट्रोल, वीबी के साथ ग्राफिक्स, मल्टीपल डाक्यूमेन्ट इन्टरफेस, एरर हेन्डलिंग, वीबी के साथ प्रोग्रामिंग की शुरुवात, विडो एपीआई और डीएलएल।

भाग II – गति परीक्षण

द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी) प्रकृति का गति परीक्षण कम्प्यूटर मशीन पर लिया जायेगा।

ऐसे अभ्यर्थियों को, जो लिखित परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करें, गति परीक्षण के लिये अर्हक अंक प्राप्त किया हुआ समक्षा जायेगा। तथापि, अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम अर्हक अंक 36% होंगे।

गति परीक्षण में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों (प्रवर्गवार) का तीन गुना होगी।

सामान्य मार्गदर्शन के लिये टिप्पण:

1. प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यार्थी के

सामान्य मार्गदर्शन के लिये इस अनुसूची में बतलाई गई है परन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।

2. समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे। किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
3. यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में इस कारण कुछ अंकों की, जो उसे अन्यथा प्रोदभूत होते, कटौती कर दी जायेगी।
4. परीक्षा के प्रश्न-पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।⁷⁰
5. परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों⁷¹ में शब्दों की सम्यक् मितव्यवता के साथ की गई सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

⁷⁰ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में नया टिप्पण प्रतिस्थापित किया गया है।

⁷¹ कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में पुनःसंख्याकृत टिप्पण 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों" प्रतिस्थापित किया गया।

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ
सेवा नियम, 1992 से संबंधित जारी
अधिसूचनाएं

:

1. एफ 5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 29.05.1997
2. एफ 5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 25.10.2007
3. एफ 5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 23.5.2008
4. एफ 5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 28.06.2008
5. एफ 5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 17.11.2009
6. एफ 5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 01.04.2011
(शुद्धि पत्र एफ 5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 26.09.2011)
7. एफ 5(2)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 01.12.2011

**राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
कार्मिक (क-2) विभाग**

क्रमांक: एफ 5(2)कार्मिक/क-2/91

जयपुर, दिनांक: 29-5-1997

निदेशक,

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,

राजस्थान, जयपुर

विषय: अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कृपया संलग्न राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 में किये गये संशोधन की अधिसूचना (हिन्दी अनुवाद सहित) दिनांक 29.05.97 को राजस्थान के असाधारण राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. दिनांक 29.5.97 में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत पत्र जारी करने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

(सूरजमल केड़वाल)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 29.5.97 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) एस.आ. में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है। कृपया अधिसूचना से संबंधित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
2. सहायक शासन सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय को मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 17/97 दिनांक 25.4.97 के संदर्भ में। ज्ञापन संख्या - प.2(416)डीओसी/संस्था/96 दिनांक 27.2.97
3. शासन सचिव, आयोजना (कम्प्यूटर) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक एवं उप शासन सचिव, कम्प्यूटर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग को 9 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
6. विधि (संहिताकरण)/विधि पुस्तकालय/सहायक विधि प्रारूपकार (प्रारूपण)।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।

(सूरजमल केड़वाल)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा (अधीनस्थ संबंधी समिति), सचिवालय, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
3. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की 5 प्रतियों के साथ।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. सम्पादक शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ।

(सूरजमल केड़वाल)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. गार्ड फाईल।

(सूरजमल केड़वाल)

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
कार्मिक (क-।।) विभाग

सं. एफ 5(2) कार्मिक/क-2/91

जयपुर, दिनांक: 29.05.97

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 में, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियम में:

1. नियम 24 में संशोधन:- नियम 24 के द्वितीय पैरे में अभिव्यक्ति "साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकेगा" और विराम चिन्ह के बीच अभिव्यक्ति," जैसा कि अनुसूची III, IV, V और VI यथा स्थिति, में निर्दिष्ट है "अंतः स्थापित की जायेगी।
2. अनुसूची II में संशोधन:- (i) क्रम संख्या 2 के सामने स्तम्भ सं. 5 में विद्यमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-
"भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक।

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पोलिटेक्नीक संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक तथा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित "ओ" स्तर का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक तथा नेशनल/स्टेट काउन्सिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के अधीन आयोजित डाटा प्रिपैरेशन एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण-पत्र।

(ii) क्र.सं. 3 के सामने स्तम्भ सं. 5 में आये शब्द "डाटा एण्ट्री मशीन" को "कम्प्यूटर" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. विद्यमान अनुसूची V और VI को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

अनुसूची-V

(नियम 18 देखिए)

कम्प्यूटर आपरेटर प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्रों का विस्तार

अभ्यर्थी को समस्त प्रश्न पत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अनुज्ञात अंक एवं समय निम्नानुसार होगा:-

प्रश्न पत्र का नाम	अंक	समय
(i) सूचना प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर) में रुझान परीक्षा और सामान्य समझ	45	1 घन्टा
(ii) कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्धान्त	45	2 घन्टा

प्रश्न पत्र का विस्तार

प्रश्न पत्र-I सूचना प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर) में रुझान परीक्षा और सामान्य समझ

समस्या समाधान, डाटा निर्वचन, डाटा पर्याप्ता, लॉजीकल रीजनिंग तथा एनालिटिकल रीजनिंग। भारत एवं राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में के मुख्य-मुख्य विकास।

प्रश्न पत्र-II कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त

कम्प्यूटरों के विभिन्न संघटकों की परिभाषा और कार्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्टोरेज की संकल्पनाएँ। डाटा स्टोरेज मीडिया, इनपुट/आउटपुट युक्तियाँ तथा इनके कार्य, कम्प्यूटरों का वर्गीकरण तथा संबंधित विशेषताएँ, भारत और राजस्थान में कम्प्यूटर पद्धति के स्पेक्ट्रम, डाटा निरूपण।

प्रोग्रामिंग एड की (संकल्पना) और तकनीक एल्गोरीथम, फ्लोचार्टिंग एवं सूडोकोड। डाटा संरचना की संकल्पना, फाईल संगठन और अनुसंधान (छँटाई, तलाशी और विलयन इत्यादि) तथा डाटा प्रक्रमण की विभिन्न पद्धतियाँ, ऑन लाइन तथा बैच प्रक्रमण पद्धतियों के लिए अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्थाएँ।

प्रवर्तन पद्धतियाँ, निम्न और उच्चस्तर और भाषाएँ, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विशिष्टताएँ, और अन्तर पर्सनल कम्प्यूटरों के लक्षण/विशिष्टताएँ, जनरल पैकेजों की विशिष्टताएँ जैसे पर्सनल कम्प्यूटर पर शब्द प्रक्रमण, डाटाबेस स्प्रेडशीट इत्यादि। पीसी प्रवर्तन पद्धति और प्रवर्तन, उपयोगिता सॉफ्टवेयर पैकेज, व्यवसाय

सॉफ्टवेयर पैकेज, टैक्सट, मैनीपुलेशन, डाटा विश्लेषण, डाटा बेस प्रबन्ध और डॉस, यूनिकस एण्ड विन्डोज एन्विरोन्मेंट के अन्तर्गत डेस्क टॉप प्रकाशन।

कम्प्यूटर प्रवर्तन— कम्प्यूटर की विभिन्न परिमाओं का संयोजन और संरूपण, विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर (ओ.एस, उपयोगिता और एप्लीकेशन पैकेज) लगाना/हटाना, लान/वान के अन्तर्गत आवश्यक प्रवर्तन, अनुरक्षण हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का समग्र अनुरक्षण, डाटा प्रक्रमण इकाई के लिए हाउस कीपिंग कार्य।

डाटा एन्ट्री/सत्यापन पद्धतियां, इनपुट डाटा के स्रोत, डाटा संशोधन, डाटा मान्यता के लिए इनपुट/आउटपुट नियंत्रण, गलती का पता लगाना, बैक अप और पुनः स्थापना पद्धतियां।

सामान्य मार्गदर्श हेतु टिप्पणः—

1. प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में दी गयी है किन्तु वह सम्पूर्ण नहीं है।
2. समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हों, अंग्रेजी में या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न पत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी में या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
3. यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सहज ही सुपाठ्य न हो तो इसके कारण उन कुल अंकों में से, जो उसे अन्यथा प्रोदभूत होते, कटौती की जायेगी।
4. परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्न पत्रों में शब्दों की सम्यक मितव्ययिता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावी और सही-सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

अनुसूची —VI

(नियम 18 देखिये)

डाटा एन्ट्री आपरेटर की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण और प्रश्न पत्रों का विस्तार —

प्रश्न पत्र—I और प्रश्न पत्र—II के लिए अनुज्ञात अंक और समय निम्नानुसार होगा:—

प्रश्न पत्र का नाम	अंक	समय
(i) रुझान परीक्षा और कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त	45	1 घण्टा
(ii) गति परीक्षा	45	30 मिनट

प्रश्न पत्र — I रुझान परीक्षा और कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त

समस्या समाधान, डाटा निर्वचन, डाटा पर्याप्तता, लॉजीकल रीजनिंग तथा एनालिटिकल रीजनिंग।

कम्प्यूटर के विभिन्न संघटकों की परिभाषा एवं कार्य, प्राथमिकता एवं द्वितीयक स्टोरेज की संकल्पनाएं, डाटा स्टोरेज मीडिया, इनपुट/आउटपुट युक्तियाँ तथा इनके कार्य, कम्प्यूटरों का वर्गीकरण तथा संबंधित विशेषताएं।

ऑपरेटिंग सिस्टम की संकल्पना, निम्न और उच्च स्तर की भाषाएं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विशिष्टताएं और अंतर।

पर्सनल कम्प्यूटर के लक्षण अथवा विशेषताएं, जनरल पैकेज की विशिष्टताएं जैसे:- पर्सनल कम्प्यूटर पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में शब्द प्रक्रमण डाटा बेस स्प्रेड-शीट। पी.सी. ऑपरेटिंग सिस्टम तथा आपरेशन। अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में डोस एवं विन्डोज एन्विरोन्मेंट के अन्तर्गत डेस्क टॉप प्रकाशन की संकल्पना।

डाटा एन्ट्री/सत्यापन पद्धति, इनपुट डाटा के स्रोत, डाटा संशोधन, डाटा मान्यता के लिए इनपुट/आउटपुट नियंत्रण गलती का पता लगाना, बैकअप और पुनः स्थापना पद्धतियाँ।

प्रश्न पत्र -II गति परीक्षा

1. कम्प्यूटर मशीन पर द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प्रकृति की गति परीक्षा ली जायेगी।
2. प्रश्न-I में सभी अभ्यर्थी को बैठना होगा। गति परीक्षा में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों (प्रवर्गवार) की कुल संख्या की तीन गुनी होगी किन्तु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को, जो प्रश्न पत्र-I में ऐसे समान प्रतिशत अंक, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी नियत करें, प्राप्त करते हैं, गति परीक्षा अर्थात् प्रश्न पत्र-II के लिए प्रवेश दिया जायेगा, तथापि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र - I में उक्त रेंज 40 प्रतिशत, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में 36 प्रतिशत जिन्हें निकटतम संख्या अर्थात् 16 अंक में पूर्णांकित किया जायेगा, से कम नहीं होगा।

सामान्य मार्गदर्शन हेतु टिप्पण:-

1. प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में दी गयी है किन्तु वह सम्पूर्ण नहीं है।
2. समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी में या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न पत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी में या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
3. यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सहज ही सुपाठ्य न हो तो इसके कारण कुछ अंको में से, जो उसे अन्यथा प्रोद्भूत होते, कटौती की जायेगी।

4. परीक्षा के समस्त वर्णानात्मक प्रश्न पत्रों में शब्दों की सम्यक मितव्ययिता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावी और सही-सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा “।”

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सूरजमल केड़वाल)

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक. प. 5(2)कार्मिक/क-2/91

जयपुर, दिनांक: 25.10.07

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2007 है।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची II का संशोधन.— राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, से संलग्न अनुसूची II में क्रम सं. 3. के सामने स्तम्भ 5 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक।

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पॉलीटेक्नीक संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलीटेक्नीक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन डीओईएसीसी (डोएक) द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद के अधीन कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.) / डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र, और

- (ii) हिन्दी और अंग्रेजी में कम्प्यूटर पर प्रति घंटा 8000 'की डिप्रेशन' की गति।"
3. अनुसूची VI का संशोधन.— उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची VI के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—

“अनुसूची – VI
(नियम 18 देखिए)

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण और प्रश्नपत्रों का विस्तार

प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II के लिये अनुज्ञात अंक और समय इसके नीचे यथा-उल्लिखित हैं:—

भाग I - लिखित परीक्षा:

अभ्यर्थी को दोनों प्रश्नपत्रों में बैठना होगा।

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
प्रश्नपत्र-I सूचना प्रौद्योगिकी में योग्यता परीक्षण और सामान्य जानकारी	30	1 घंटा
प्रश्नपत्र-II कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्धान्त	70	2 घंटे
<u>भाग II गति परीक्षण:</u>		
द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी)	120	30 मिनट

प्रश्नपत्र का विस्तार

भाग I - लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र-I सूचना प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर) में योग्यता परीक्षण और सामान्य जानकारी

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजीकल रीजनिंग और एनालीटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास।

प्रश्नपत्र-II तकनीकी सिद्धान्त (त.सि.)

समाज में कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर एप्लीकेशन और आर्गेनाइजेशन, कम्प्यूटर के अवयव संघटन, डाटा (डिजिटल बनाम ऐनालोग, डिजिटल नम्बर सिस्टम) आपरेटिंग सिस्टम (विनडोज, यूनिक्स, लाईनक्स), वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस-वर्ड), स्प्रेड शीट सोफ्टवेयर (एमएस एक्सेल) का रिप्रजेन्टेशन, सोफ्टवेयर (एमएस पॉवर वर्ड) और आईटी पर दृष्टिपात।

डीबीएमएस (एमएस-एक्सेस), नॉल्लिज बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, फाईलों के कन्सेप्ट, प्रिंसिपलस और प्रोग्रामिंग टेक्नीक्स, विज्युअल फोक्सप्रो और बिजनेस एप्लीकेशनस, आरडीबीएमएस (एसक्यूयल)।

इन्टरनेट प्रौद्योगिकी और प्रोटोकाल, लेन, मेन, वेन का परिचय, टीसीपी/आईपी, वर्ल्ड वाईड वेब ब्राउसर, ई-मेल, फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकाल, टेलीनेट, वेब पब्लिशिंग, एचटीएमएल इन्टरएक्टिविटी टूल्स, मल्टीमिडिया एण्ड ग्राफिक, इन्टरनेट सिक्यूरिटी मैनेजमेन्ट कन्सेट (फायरवालस), वॉयस मेल और विडियो कान्फ्रेंसिंग का परिचय, ई-कॉमर्स का परिचय, वेबसाइट का सर्जन और रखरखाव।

प्राबलिम सोल्विंग के लिये अैलगरिज्म (विधि-विशेष), सी लैंग्वेज का परिचय, सी और सी++ में प्रोग्रामिंग, कन्डिशनल्स और लूप्स अैरे, फन्क्शन्स।

प्रारंभिक ज्ञान:

विज्युअल बेसिक में आबजेक्ट आरियेन्टेड प्रोग्रामिंग (ओओपी) और जावा प्रोग्रामिंग एलिमेन्ट्स, इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, फॉर्मस के साथ वर्किंग, बैसिक एक्टिव X कंट्रोल, वीबी के साथ ग्राफिक्स, मल्टीपल डाक्यूमेन्ट इन्टरफेस, एरर हेन्डलिंग, वीबी के साथ प्रोग्रामिंग की शुरुवात, विडो एपीआई और डीएलएल।

भाग II – गति परीक्षण

द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी) प्रकृति का गति परीक्षण कम्प्यूटर मशीन पर लिया जायेगा।

ऐसे अभ्यर्थियों को, जो लिखित परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करें, गति परीक्षण के लिये अर्हक अंक प्राप्त किया हुआ समक्षा जायेगा। तथापि, अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम अर्हक अंक 36% होंगे।

गति परीक्षण में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों (प्रवर्गवार) का तीन गुना होगी।

सामान्य मार्गदर्शन के लिये टिप्पण:

6. प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यार्थी के सामान्य मार्गदर्शन के लिये इस अनुसूची में बतलाई गई है परन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।
7. समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे। किन्तु किसी भी अभ्यार्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अशतः हिन्दी या अशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
8. यदि किसी अभ्यार्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से इस कारण कुछ अंकों की, जो उसे अन्यथा प्रोदभूत होते, कटौती कर दी जायेगी।

9. परीक्षा के समस्त वर्णात्मक प्रश्नपत्रों में शब्दों की सम्यक मितव्यवता के साथ की गई सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(लोकनाथ सोनी)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं.एफ.5(2)डीओपी/ए-11/91

जयपुर, दिनांक:-23.05.2008

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2008 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **भाग-IV का संशोधन.**— राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के भाग-IV में,—
 - (i) विद्यमान नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

“17, प्रतियोगी परीक्षा.— सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा इन नियमों के अनुसार आयोजित की जायेगी।”
 - (ii) जहां कहीं भी अभिव्यक्तियां “आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी” या “आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,” आयी हो, उनके स्थान पर अभिव्यक्ति “आयोग” प्रतिस्थापित की जायेगी।
 - (iii) इन नियमों के आंग्ल पाठ में जहां कहीं भी अभिव्यक्तियां “them/it” या “they/it” आयी हों, उनके स्थान पर अभिव्यक्तियां क्रमशः “them” या “they” प्रतिस्थापित की जायेगी।
 - (iv) इन नियमों के आंग्ल पाठ में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति “their/its” आयी हो, उसके स्थान पर अभिव्यक्ति “their” प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(डॉ० लोकनाथ सोनी)

शासन उप सचिव।

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डलीय समिति
(नियमों से संबंधित स्थाई मंत्रिमण्डलीय समिति)

की

आज्ञा

2 / 2008

दिनांक 3 मई, 2008 को मंत्रिमण्डलीय समिति (नियमों से संबंधित स्थाई मंत्रिमण्डलीय समिति) द्वारा सरकारयूलेशन के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संख्या एफ2(416)कम्प्यू/संस्था/96/1029 दिनांक 29 अप्रैल, 2008 में अंकित राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया संबंधी नियमों में संशोधन करने संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुये ज्ञापन के संलग्न तत्सम्बन्धी अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

(डी.सी.सामन्त)

मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव,

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

डी-2/3(1)मंमं/2004पार्ट

दिनांक: 3 मई 2008

राजस्थान सरकार**कार्मिक (क-2) विभाग**

क्रमांक: प.5(2)कार्मिक/क-2/91

जयपुर, दिनांक: 28.06.08

निदेशक,

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

विषय: अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि कृपया संलग्न राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 में किये गये संशोधन की अधिसूचना (हिन्दी अनुवाद सहित) को दिनांक 28.06.08 के राजस्थान के असाधारण राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. दिनांक 28.06.08 में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत पत्र जारी करने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

(डॉ. लोकनाथ सोनी)**शासन उप सचिव****प्रतिलिपि:**

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 28.06.08 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है। कृपया अधिसूचना से संबंधित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
2. सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 3/2008 दि. 07.6.08 एवं ज्ञापन सं. प.2(416)कम्प्यू./संस्था/96/1344 दिनांक 30.5.08 के संदर्भ में।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग।
4. सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-7) विभाग को 9 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
5. विधि (संहिताकरण)/ विधि पुस्तकालय/ सहायक विधि प्रारूपकार (प्रारूपण)।
6. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, राजस्थान, जयपुर।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:-

- 1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ।
- 2- सचिव, राजस्थान विधान सभा (अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) जयपुर को 20 प्रतियों के साथ
- 3- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
- 4- सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
- 5- सम्पादक, शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ
- 6- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 7- रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों सहित।

शासन उप सचिव**प्रतिलिपि निम्न को भी:-**

- 1- प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2- सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5- अद्यतन लिपिक को 5 प्रतियों में।
- 6- गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:-प.5(2)कार्मिक/क-2/91

जयपुर, दिनांक:-28.06.2008

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. नियमों और अनुसूचियों में संशोधन:- राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 और उनसे संलग्न अनुसूचियों में,-
 - (i) जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "कम्प्यूटर ऑपरेटर" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "सहायक प्रोग्रामर" प्रतिस्थापित की जायेगी।
 - (ii) जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "डाटाएन्ट्री ऑपरेटर" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "सूचना सहायक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(डॉ० लोकनाथ सोनी)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक: प.5(2)डी.ओ.पी./ए-II/91

जयपुर, दिनांक: 17.11.2009

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (I-संशोधन) नियम, 2009 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम 29 का संशोधन—राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992, जिन्हे इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 29 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति “सिस्टम एनालिस्ट” के स्थान अभिव्यक्ति “अपर निदेशक” प्रतिस्थापित की जायेगी।
3. अनुसूची-I का संशोधन.— उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में, —
(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और 2 को क्रमशः क्रम संख्यांक 2 और 3 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।
(ii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित क्रम संख्या 2 की विद्यमान प्रविष्टियों के पूर्व क्रम संख्यांक 1 पर निम्नलिखित नयी प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात:-

1.	अपर निदेशक	—	100%	—	सिस्टम एनालिस्ट	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	—
----	------------	---	------	---	-----------------	---	---

- (iii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ सं. 7 में विद्यमान अभिव्यक्ति “स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष की सेवा” के स्थान पर अभिव्यक्ति “स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव” प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,
(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक: प.5(2)कार्मिक/क-2/91

जयपुर, दिनांक:17.11.2009

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय: अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि कृपया संलग्न राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 में किये गये संशोधन की अधिसूचना (हिन्दी अनुवाद सहित) दिनांक 17.11.09 को राजस्थान के असाधारण राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. दिनांक 17.11.09 में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत पत्र जारी करने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

(नलिनी कठौतिया)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 17.11.09 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है। कृपया अधिसूचना से संबंधित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

2. सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 87/2009 दि. 06.10.09 एवं ज्ञापन सं. प2(416)कम्प्यू./संस्था/96/2029 दिनांक 01.9.09 के संदर्भ में।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग।
4. आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग।
5. सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग को 9 अतिरिक्त प्रतियों के साथ
6. विधि (संहिताकरण)/ विधि पुस्तकालय/ सहायक विधि प्रारूपकार (प्रारूपण)
7. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, राजस्थान, जयपुर।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:-

- 1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ।
- 2- सचिव, राजस्थान विधान सभा (अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) जयपुर को 20 प्रतियों के साथ।
- 3- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर।
- 4- सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
- 5- सम्पादक, शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 7- रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों सहित।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:-

- 1- प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2- सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5- अद्यतन लिपिक को 5 प्रतियों में।
- 6- गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक: एफ.5(2)डीओपी/ए-II/91

जयपुर, दिनांक: 1.04.2011

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- (i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2011 है।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 17 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के विद्यमान नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“17. प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के लिए प्राधिकारी.- (1)

अनुसूची-I में उल्लिखित पदों और आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले अनुसूची-II में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगी।”

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित से भिन्न अनुसूची-II में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगी।

3. नियम 19 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 19 में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति “आयोग” आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति “आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,” प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 20 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (2) में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति “आयोग” आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति “आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,” प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम 21 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 21 में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति “आयोग” आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति “आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,” प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. नियम 22 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 22 में,

(i) उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति “आयोग” के स्थान पर अभिव्यक्ति “आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,” प्रतिस्थापित की जायेगी।

- (ii) उप-नियम (1) के आंग्ल पाठ में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "them" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "them/it" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (iii) उप-नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. नियम 23 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 23 में,—

- (i) उप-नियम (1) जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (ii) उप-नियम (1) के आंग्ल पाठ में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "them" या "they" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति क्रमशः "them/it" या "they/it" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (iii) उप-नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (iv) उप-नियम (2) के आंग्ल पाठ में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "them" या "they" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति क्रमशः "them/it" या "they/it" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. नियम 24 का प्रतिस्थापन.— उक्त नियमों के विद्यमान नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"24. न्यूनतम अर्हक अंक.— वे अभ्यर्थी, जो लिखित परीक्षा/गति परीक्षण में कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे उन्हें ही लिखित परीक्षा/गति परीक्षण, यथास्थिति, में अर्हक अंक अभिप्राप्त किया हुआ समझा जायेगा, किन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा/गति परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 36 प्रतिशत होंगे। आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्वविवेक से प्रत्येक प्रश्न-पत्र में एक तक तथा कुल मिलाकर तीन तक अनुग्रह अंक प्रदान कर सकेगा।"

9. नियम 25 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 25 में,—

- (i) विद्यमान पार्श्व शीर्ष "आयोग की सिफारिश" के स्थान पर पार्श्व शीर्ष "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें" प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (ii) उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।

- (iii) उप-नियम (1) के आंग्ल पाठ में विद्यमान अभिव्यक्ति "they" के स्थान पर अभिव्यक्ति "they/it" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (iv) उप-नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. नियम 26 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 26 में,—

- (i) उप-नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (ii) उप-नियम (1) के आंग्ल पाठ में विद्यमान अभिव्यक्ति "their" के स्थान पर अभिव्यक्ति "their/its" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (iii) उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (iv) उप-नियम (3) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. नियम 28 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 28 में,—

- (i) उप-नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (ii) उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. अनुसूची-I का संशोधन.— उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में,—

- (i) क्रम संख्या 3 के सामने स्तम्भ संख्या 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
 "(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार में एम.सी.ए./बी.ई./ बी.टेक. या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अहंता।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार

में एम.टेक. डिग्री या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (सूचना प्रौद्योगिकी) या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता।

और

(2) किसी सरकारी संगठन/सरकारी उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में सिस्टम डिजाइनिंग, सिस्टम डवलपमेंट, जावा/डॉट नेट/वीबी/जे2ईई में प्रोग्रामिंग में 5 वर्ष का अर्हता पश्चात् कार्य अनुभव :

परन्तु यदि विहित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों तो अनुभव संबंधी शर्त तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नयी क्रम संख्या 4 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

..

4.	प्रोग्रामर	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार में एम.सी.ए /बी.ई./बी. टेक. या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार में एम.टेक. डिग्री या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। या	सहायक प्रोग्रामर	स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष अनुभव
----	------------	------------	------------	---	------------------	--

				भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (सूचना प्रौद्योगिकी) या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। और (2) किसी सरकारी संगठन/ सरकारी उपक्रमों/ पब्लिक लिमिटेड / प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में जावा/डॉट नेट/वीबी/ जे2ईई में प्रोग्रामिंग में 2 वर्ष का अर्हता पश्चात् कार्य अनुभव : परन्तु यदि विहित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों तो अनुभव संबंधी शर्त एक वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।			
--	--	--	--	---	--	--	--

..

13. अनुसूची-II का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-II में,-

- (i) विद्यमान क्रम संख्या 1 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।
- (ii) विद्यमान क्रम संख्या 2 और 3 क्रमशः क्रम सं. 1 और 2 के रूप में पुनःसंख्याकित की जायेंगी।
- (iii) इस प्रकार पुनःसंख्याकित क्रम संख्या 1 के सामने स्तम्भ संख्या 5 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और संसूचना या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक।

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 3 वर्ष का डिप्लोमा।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलेक्ट्रॉनिक विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी (डोएक) द्वारा संचालित "ए" लेवल प्रमाण पत्र।

और

(2) किसी सरकारी संगठन/सरकारी उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में कम्प्यूटर प्रचालन में 2 वर्ष का कार्य अनुभव।"

14. अनुसूची-III का संशोधन.— उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-III के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"अनुसूची III

(नियम 18 देखिए)

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर

के पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण

अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए अंक और अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :-

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
प्रश्नपत्र I	100	2 घण्टे
प्रश्नपत्र II	100	2 घण्टे

प्रश्नपत्रों का विस्तार

लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र I

तर्क परीक्षण एवं संख्यात्मक विश्लेषण और सामान्य ज्ञान

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक मामले।

डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम

ई आर डायग्राम, डाटा मॉडल्स — रिलेशनल एण्ड आब्जेक्ट ओरियेन्टेड डाटा बेसैज।

डाटा बेस डिजाइन : कन्सेपच्युल डाटा बेस डिजाइन, नोरमलाइजेशन प्रिमिटिव एण्ड कंपोजिट डाटा टाइप, कन्सेप्ट ऑफ फिजीकल एण्ड लोजिकल डाटा बेस, डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड डाटा इन्डिपेन्डेंस, डाटा एग्रीगेशन एण्ड रिलेशनल एलजेब्रा।

एप्लीकेशन यूजिंग डवलपमेंट एस क्यू एल : होस्ट लेंग्वेज इन्टरफेस, एम्बेडेड एस क्यू एल प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोसिजर एण्ड ट्रिगर्स एण्ड व्यूज, कन्सट्रेंट्स एसर्शन्स।

इन्टरनल ऑफ आरडीबीएमएस : फिजीकल डाटा ऑरगनाइजेशन इन सीक्वेन्शियल, इन्डेक्सड रेन्डम एण्ड हैशड फाइल। इन्वरटेड एण्ड मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर, बी ट्रीज, बी प्लस ट्रीज, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, जोइन एल्गोरिथम।

ट्रान्जेक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्करेन्सी कंट्रोल एण्ड रिकवरी मैनेजमेंट। ट्रान्जेक्शन मॉडल प्रोपर्टिज एण्ड स्टेट सीरियलाइजेबिलिटी। लॉक बेस प्रोटोकॉल, टू फेज लॉकिंग।

डिफरेंट सर्वर मल्टी यूजर, मल्टीप्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम एण्ड रिक्वायरमेंट फॉर क्लाईंट इन्टरफेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन एन्वायरमेंट।

डाटा कम्यूनिकेशन एण्ड कम्प्यूटर नेटवर्क्स :

कम्प्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्किट स्विचिंग, पैकेट एण्ड मैसेज स्विचिंग, नेटवर्क स्ट्रक्चर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, रिट्रांसमिशन एल्गोरिथम।

मलटिपल एक्सेस एण्ड एलोहा। सीएसएमए/सीडी एण्ड ईथरनेट। हाई स्पीड लेनस् एण्ड टोपोलॉजिज। ब्रोडकास्ट राउटिंग एण्ड स्पेनिंग ट्रीज।

टीसीपी/आईपी स्ट्रेक। आईपी नेटवर्क्स एण्ड इन्टरनेट। डीएनएस एण्ड फायरवाल्स। इन्ट्रूजन डिटेक्शन एण्ड प्रिवेन्शन।

ट्रांसपोर्ट लेयर एण्ड टीसीपी/आईपी। नेटवर्क मैनेजमेंट एण्ड इन्टरओपरेबिलिटी।

प्रश्नपत्र II**सिस्टम एनालिसिस एण्ड डिजाइन**

सिस्टम कन्सेप्ट : डेफिनिशन एण्ड करेक्टरस्टिक्स, एलीमेंटस् एण्ड बाउंडरीज, टाइप आफ सिस्टम डवलपमेंट लाइफसाइकल, रिकग्नीशन ऑफ नीड्स, फिजीबिलिटी स्टडी, प्रोटोटाइपिंग रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट।

सिस्टम प्लानिंग एण्ड टूल लाइक डीएफडी, डाटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्रीज, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एण्ड डिसीजन टेबल्स।

आईपीओ चार्टस, स्ट्रक्चर्ड वॉकथ्रू, इनपुट आउटपुट फॉर्म डिजाइन, रिक्वायरमेंट एण्ड क्लासीफिकेशन ऑफ फार्मस, ले आउट कंसीडरेशन फॉर्म कंट्रोल, ऑब्जेक्ट ओरियेन्टेड डिजाइन कंसेप्टस एण्ड मेथड्स।

सॉफ्टवेयर लाइफ साइकल, सॉफ्टवेयर इंजिनियरिंग पेराडिगम्स, सिस्टम एनालिसिस : फिजीबिलिटी स्टडी रिकवायरमेंट एनालिसिस, कोस्ट बेनीफिट एनालिसिस, प्लानिंग सिस्टम, एनालिसिस टूल्स एण्ड टेक्नीक्स।

सिस्टम डिजाइन : डिजाइन फण्डामेंटल्स, मोड्यूलर डिजाइन, डाटा एण्ड प्रोसिजरल डिजाइन, ऑब्जेक्ट ऑरियेन्टेड डिजाइन।

सिस्टम डवलपमेंट : कोड डोक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम डिजाइन पेराडिगम्स, एफीशियन्सी कौन्सीडरेशन।

वेरिफिकेशन, वेलिडेशन एण्ड टेस्टिंग : टेस्टिंग मेथड्स फोरमल प्रोग्राम वेरिफिकेशन, टेस्टिंग स्ट्रेटिजीज।

सॉफ्टवेयर मॅटेनेन्स : मेन्टेनेन्स करेक्टरस्टिक्स, मेन्टेनेबिलिटी, मेन्टेनेन्स टास्क एण्ड साइड इफेक्ट्स।

सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट

सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सेप्ट : दी मैनेजमेंट स्पैक्ट्रम, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एण्ड प्रोजेक्ट।

सॉफ्टवेयर प्रोसेस एण्ड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स : सॉफ्टवेयर मेज़रमेंट साइज ऑरियेन्टेड मैट्रिक्सेस, फंक्शन ऑरियेन्टेड मैट्रिक्सेस।

सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग : ऑब्जेक्टिव्ज, डिकम्पोजिशन टेक्नीक्स, इम्प्रिकल एस्टीमेशन मॉडल।

रिस्क एनालिसिस एण्ड मैनेजमेंट : रिस्क आईडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, रिस्क रिफाइनमेंट, रिस्क मोनिटरिंग एण्ड मैनेजमेंट।

प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एण्ड ट्रेकिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

- (i) प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।
- (ii) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।

- (iii) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से, जो अन्यथा उसे प्रोदभूत होते, इस कारण कुछ अंकों की कटौती कर दी जायेगी।
- (iv) परीक्षा के प्रश्न-पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।
- (v) परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

15. अनुसूची-IV का संशोधन.— उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-III के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“अनुसूची IV

(नियम 18 देखिए)

प्रोग्रामर

के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्य विवरण

1. अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए अंक और अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :—

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
प्रश्नपत्र I	100	2 घण्टे
प्रश्नपत्र II	100	2 घण्टे

प्रश्नपत्रों का विस्तार

लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र I

तर्क परीक्षण एवं संख्यात्मक विश्लेषण और सामान्य ज्ञान

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रीटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले।

डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम

ई आर डायग्राम, डाटा मॉडल्स — रिलेशनल एण्ड आब्जेक्ट ओरियन्टेड डाटा बेसैज।

डाटा बेस डिजाइन : कन्सेपच्युल डाटा बेस डिजाइन, नोरमलाईजेशन प्रिमिटिव एण्ड कंपोजिट डाटा टाइप, कन्सेप्ट ऑफ फिजीकल एण्ड लोजिकल डाटा बेस, डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड डाटा इन्डिपेंडेन्स, डाटा एग्रीगेशन एण्ड रिलेशनल एलजेब्रा।

एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग एस क्यू एल : होस्ट लेंगवेज इन्टरफेस, एम्बैडेड एस क्यू एल प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोसिजर एण्ड ट्रिगर्स एण्ड व्यूज, कन्सट्रेंट्स एसर्शन्स।

इन्टरनल ऑफ आरडीबीएमएस : फिजीकल डाटा ऑरगनाईजेशन इन सीक्वेन्शियल, इन्डेक्सड रेन्डम एण्ड हैशड फाइल। इन्वरटेड एण्ड मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर, बी ट्रीज़, बी प्लस ट्रीज़, क्वेरी ऑप्टिमाईजेशन, जोइन एल्गोरिथम।

ट्रान्जेक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्करेन्सी कन्ट्रोल एण्ड रिकवरी मैनेजमेंट। ट्रान्जेक्शन मॉडल प्रोपर्टिज़ एण्ड स्टेट सीरियलाइजेबिलिटी। लॉक बेस प्रोटोकॉल, टू फेज़ लॉकिंग।

डाटा कम्प्यूनिकेशन एण्ड कम्प्यूटर नेटवर्क्स

कम्प्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्किट स्विचिंग, पैकेट एण्ड मैसेज स्विचिंग, नेटवर्क स्ट्रक्चर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, रिट्रांसमिशन एल्गोरिथम।

मल्टीपल एक्सेस एण्ड एलोहा। सीएसएमए/सीडी एण्ड ईथरनेट। हाइ स्पीड लेन एण्ड टोपोलॉजिज़। ब्रोडकास्ट राउटिंग एण्ड स्पेनिंग ट्रीज़।

टीसीपी/आईपी स्टेक। आईपी नेटवर्क्स एण्ड इन्टरनेट। डीएनएस एण्ड फायरवाल्स। इन्ट्रूजन डिटेक्शन एण्ड प्रिवेन्शन।

ट्रांसपोर्ट लेयर एण्ड टीसीपी/आईपी। नेटवर्क मैनेजमेंट एण्ड इन्टरओपरेबिलिटी।

प्रश्नपत्र II

सिस्टम एनालिसिस एण्ड डिजाइन

सिस्टम कन्सेप्ट : डेफिनिशन एण्ड करक्टरस्टिक्स, एलीमेंट एण्ड बाउंडरीज़, टाइप आफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफसाइकल, रिकग्नीशन ऑफ नीड्स, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोटोटाइपिंग, रोल आफ सिस्टम एनालिस्ट।

सिस्टम प्लानिंग एण्ड टूल्स लाइक डीएफडी, डाटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्रीज़, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एण्ड डिसीजन टेबल्स।

आईपीओ चार्ट्स, स्ट्रक्चर्ड वॉकथ्रू, इनपुट आउटपुट फ़ोम डिजाइन, रिकवायरमेंट एण्ड क्लासिफिकेशन आफ फ़ॉर्मस, ले आउट कंसीडरेशन फ़ॉर्म कन्ट्रोल, ऑब्जेक्ट ओरियन्टेड डिजाइन कंसेप्ट्स एण्ड मेथड्स।

सॉफ्टवेयर लाइफ साइकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेरैडिगम्स।

सिस्टम एनालिसिस : फिजिबिलिटी स्टडी रिकवायरमेंट एनालिसिस, कोस्ट बेनीफिट एनालिसिस, प्लानिंग सिस्टम, एनालिसिस टूल्स एण्ड टेक्नीक्स।

सिस्टम डिजाइन : डिजाइन फण्डामेंटल्स, मोड्यूलर डिजाइन, डाटा एण्ड प्रोसिजरल डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरियन्टेड डिजाइन।

सिस्टम डवलपमेंट : कोड डोक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम डिजाइन पेराडिगम्स, एफीशियन्सी कौन्सीडरेशन।

वेरिफिकेशन, वेलिडेशन एण्ड टेस्टिंग : टेस्टिंग मेथड्स, फोरमल प्रोग्राम वेरिफिकेशन, टेस्टिंग स्ट्रेटिजीज।

सॉफ्टवेयर मेन्टेनेन्स : मेन्टेनेन्स करक्टरस्टिक्स, मेन्टेनेबलिटी, मेन्टेनेन्स टास्क एण्ड साइड इफेक्ट्स।

प्रोग्रामिंग कौन्सेप्ट्स :

इन्ट्रोडक्शन: इन्टरनेट, जावा एज ए टूल फॉर इन्टरनेट एप्लीकेशन्स, बाइट कोड एण्ड इट्स एडवांटेजिज।

आब्जेक्ट ओरियन्टेड प्रोग्रामिंग एण्ड डिजाइन: रिव्यू ऑफ एब्सट्रक्शन, आब्जेक्ट्स एण्ड अदर बेसिक्स, एनकेप्स्यूलेशन, इन्फोरमेशन हाइडिंग, मेथड, सिगनेचर, क्लासेज एण्ड इन्सटान्सेज, पोलिमोर्फिज्म, इन्हेरिटेन्स, एक्सेप्शन्स एण्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग विद रेफरेन्स टू आब्जेक्ट माडलिंग, कपलिंग एण्ड कोहेजन इन आब्जेक्ट ओरियन्टेड सॉफ्टवेयर। आब्जेक्ट ओरियन्टेड डिजाइन— प्रोसेस, एक्सप्लोरेशन एण्ड एनालिसिस।

जावा प्रोग्रामिंग बेसिक्स : वेरिबिल्स एण्ड एसाइनमेन्ट्स। इनपुट एण्ड आउटपुट, डाटा टाइप्स एण्ड एक्सप्रेसन्स, फ्लो ऑफ कन्ट्रोल, लोकल वेरिबिल्स, ओवरलोडिंग पेरामीटर पासिंग, दिस पाइन्टर, जावा आब्जेक्ट ओरियन्टेड कन्सेप्ट्स: यूज आफ फाइल फार आई/ओ, फारमेटिंग आउटपुट विद स्ट्रीम फंक्शन्स, करेक्टर आई/ओ, इन्हेरिटेन्स, पब्लिक एण्ड प्राइवेट मेम्बर्स, कन्सट्रक्टर्स फार इनिशियलाइजेशन, डिस्ट्रिब्यूट क्लासेज, फ्लो आफ कन्ट्रोल एरेज— प्रोग्रामिंग विद एरेज, एरेज आफ क्लासेज, एरेज एज फंक्शन आरग्यूमेन्ट्स, स्ट्रिंग्स, मल्टीडाइमन्शनल एरेज, एरेज आफ स्ट्रिंग्स, वेक्टर्स, बेस क्लासेज।

इन्ट्रोडक्शन टू जेएसपी., आरएमआई, जावा एपलेट्स एण्ड सर्वलेट्स।

इन्ट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क एण्ड विजुअल प्रोग्रामिंग इन्टरफेस।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

- (i) प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।
- (ii) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
- (iii) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाद्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से, जो अन्यथा उसे प्रोदभूत होते, इस कारण कुछ अंकों की कटौती कर दी जायेगी।

- (iv) परीक्षा के प्रश्न-पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।
- (v) परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।”

16. अनुसूची-V का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-V के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“अनुसूची V

(नियम 18 देखिए)

सहायक प्रोग्रामर

के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्य विवरण

1. अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए अंक और अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :-

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
(i) योग्यता परीक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी	100	2 घंटे
(ii) सूचना प्रौद्योगिकी कॉन्सेप्ट्स	100	2 घंटे

प्रश्नपत्रों का विस्तार

लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र I योग्यता परीक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर) में सामान्य जानकारी

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास।

प्रश्नपत्र II सूचना प्रौद्योगिकी कॉन्सेप्ट

ओवरव्यू ऑफ द कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर एप्लीकेशन एण्ड ऑरगनाइजेशन, एनाटोमी ऑफ ए कम्प्यूटर, रिप्रजेंटेशन ऑफ डाटा (डिजिटल वर्सेज एनालॉग, डिजिटल नम्बर सिस्टम) ऑपरेटिंग सिस्टम (विन्डोज, यूनिक्स, लाईनेक्स), वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस-वर्ड), स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर (एमएस - एक्सल), प्रजेन्टेशन सॉफ्टवेयर (एमएस पॉवर पोइन्ट) एण्ड आई टी इन सोसाइटी।

इन्ट्रोडक्शन/बेसिक्स ऑफ आल ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स एण्ड शैल प्रोग्रामिंग

ऑपरेटिंग सिस्टम कन्सेप्ट्स, फाइल सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल एट्रीब्यूट्स, VI एडीटर्स।

डीबीएमएस (एमएस-एक्सेस), नालेज ऑफ बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, कन्सेप्ट ऑफ फाइल्स, प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रोग्रामिंग टेक्नीक्स, विजुअल फोक्सप्रो एण्ड बिजनेस एप्लीकेशन्स, आरडीबीएमएस (एसक्यूएल), डाटा बेस आरकीटेक्चर एण्ड मोडलिंग, एन्टिटी रिलेशनशिप मोडल, रिलेशनल मोडल, बैकअप एण्ड रिकवरी।

इन्ट्रोडक्शन ऑफ इन्टरनेट टेक्नोलोजी एण्ड प्रोटोकॉल, लेन, मेन, वेन, इन्ट्रोडक्शन टू टीसीपी/आईपी, वर्ड वाइड वेब ब्राउज़र्स, ई-मेल, फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, वेब पब्लिशिंग, एचटीएमएल इन्टरएक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एण्ड ग्राफिक्स, इन्टरनेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट कन्सेप्ट्स (फायरवाल्स), वॉइस मेल एण्ड विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन्ट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स, क्रियेटिंग एण्ड मेन्टेनिंग वेबसाइट्स।

एलगोरिथम फॉर प्रोब्लम सोल्विंग, इन्ट्रोडक्शन टू सी लेंग्वेज, प्रोग्रामिंग इन सी एण्ड सी ++ , कन्डिशनल्स एण्ड लूप्स एरेस, फंक्शंस।

इन्ट्रोडक्शन, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम डेवलपमेंट साइकल, सिस्टम प्लानिंग, मोड्यूलर एण्ड स्ट्रक्चर्ड डिजाइन, सिस्टम डिजाइन एण्ड मोडलिंग, एडमिनिस्ट्रिंग फाइल सिस्टम्स।

एलीमेंट्री नॉलेज

आब्जेक्ट ओरियन्टेड प्रोग्रामिंग (ओओपी) इन विजुअल बेसिक एण्ड जावा प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स, इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एन्वायरमेंट, वर्किंग विद फॉर्मस, बेसिक एक्टिव एक्स कन्ट्रोल्स, ग्राफिक्स विद वीबी, मल्टीपल डोक्यूमेंट इन्टरफेस, एरर हैंडलिंग, इनिशियल्स ऑफ प्रोग्रामिंग विद वीबी, विन्डोज़ एपीआई एण्ड डीएलएल, कम्प्यूटर आरकिटेक्चर, बेसिक कम्पोनेंट ऑर्गनाइजेशन, इन्ट्रोडक्शन्स एण्ड एप्लीकेशन्स ऑफ कम्प्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स डिवाइस, थ्री डी ग्राफिक्स, एनिमेशन।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

- (i) प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।
- (ii) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
- (iii) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से, जो अन्यथा उसे प्रोदभूत होते, इस कारण कुछ अंकों की कटौती कर दी जायेगी।

- (iv) परीक्षा के प्रश्न-पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।
- (v) परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

17. अनुसूची-VI का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-VI के विद्यमान "सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण" में,-

- (i) विद्यमान टिप्पण 4 को टिप्पण 5 के रूप में पुनःसंख्याकित किया जायेगा।
- (ii) विद्यमान टिप्पण 3 के पश्चात् और इस प्रकार पुनःसंख्याकित टिप्पण 5 के पूर्व निम्नलिखित नया टिप्पण 4 अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
 "4. परीक्षा के प्रश्न-पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।"
- (iii) इस प्रकार पुनःसंख्याकित टिप्पण 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह0

(नलिनी कठोटिया)

शासन उप सचिव